Sixteenth Lok Sabha
II Session (07/07/2014 to 14/08/2014)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 7 जुलाई, 2014/16 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 7

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

कर्नाटक के चिक्कोडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री प्रकाश हुक्केरी ने कन्नड़ में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

3. मंत्री का परिचय

प्रधान मंत्री ने विद्युत मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल का परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री हरभजन लखा, नौवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्न के बारे में भी उल्लेख किया—

(एक) नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के 25 जून, 2014 को बिहार के सारन जिले में पटरी से उतर जाने पर चार लोगों की मृत्यु और बाईस अन्य के घायल होने।

(दो) 15 लोगों की मृत्यु और अनेक अन्य के उस समय घायल होने जब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की ट्रंक पाइपलाईन में 27 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में नगरम के निकट गैस लीक होने के पश्चात् विस्फोट हो गया।

(तीन) 5 बालकों और 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मृत्यु और 2 अन्य के उस समय घायल होने जब 28 जून, 2014 को दिल्ली में एक चार मंजिला इमारत ढह गई।

(चार) 60 लोगों की मृत्यु और अनेक अन्य के उस समय घायल होने जब 28 जून, 2014 को चेन्नई में भारी वर्षा के कारण एक ग्यारह-मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

5. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 3—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

6. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—66 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने पाँच सेटेलाइटों के साथ पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल पीएसएलवी-सी 23 के सफल प्रक्षेपण के लिए सभा की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बधाई दी।

उन्होंने 29 जून, 2014 को सिडनी में स्टार ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीतने के लिए सुश्री सायना नेहवाल; उसी दिन शर्म अल-शेख, मिश्र में आईबीएसएफ विश्व 6-रेड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतकर बिलियड्र्स और स्नूकर दोनों के लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्मेट में विश्व खिताब जीतने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बनने पर श्री पंकज आडवाणी; तथा म्यूनिख, जर्मनी और मारीबोर, स्लोवेनिया में आईएसएसएफ विश्व कपों में तीन मेडल जीतने के पश्चात् एयर पिस्टल प्रतियोगिता में विश्व में नम्बर एक की रैंक प्राप्त करने पर श्री जीतू राय को भी सभा की ओर से बधाई दी।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 981 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई)।

अपराह्न 2.00 बजे

9. सरकारी विधेयक—नहीं लिया गया

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014

मद को लिए जाने के समय, गृह मंत्री ने अनुरोध किया कि मद को नहीं लिया जाए क्योंकि सरकार विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। तद्नुसार मद नहीं ली गई।

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) **श्री गणेश सिंह** द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर की बरगी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) **श्री देवजी एम॰ पटेल** द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए माही बजाज परियोजना को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) **डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार** द्वारा केन–बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना पर कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) **डॉ॰ भोला सिंह** द्वारा बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) **श्री सुनील कुमार सिंह** द्वारा झारखंड के पलामू में उत्तर कोयल जलाशय तथा बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** द्वारा देश में रोजगार सृजन के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) **श्री जगदम्बिका पाल** द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) **श्री पी॰पी॰ चौधरी** द्वारा राजस्थान के पाली जिले में स्थित बांडी नदी और नेहड़ा बांध को प्रदूषण मुक्त बनाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) **साध्वी निरंजन ज्योति** द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) **श्रीमती रमा देवी** द्वारा बिहार के पटना में महात्मा गांधी सेतु तथा मोकामा में राजेन्द्र रोड पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों विशेषकर केरल में रह रहे लोगों को सुरक्षित पेयजल, साफ–सफाई तथा शौचालय सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) **श्रीमती आर॰ वनरोजा** द्वारा तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जिले के मिशेनगाम गांव स्थित बीज फार्म को कार्यशील बनाने तथा इस क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) **प्रो॰ सौगत राय** द्वारा खाद्यान्नों, उर्वरकों, चीनी तथा सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट बैग के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) **डॉ॰ कुलमणि सामल** द्वारा ओडिशा में पारादीप स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की रिफाईनरी द्वारा महानदी के संतारा क्रीक में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) **श्री चन्द्रकांत खैरे** द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) **श्री एम॰बी॰ राजेश** द्वारा केरल में पालक्काड रेलवे जंक्शन के पास स्थित समपार पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) **श्रीमती सुप्रिया सुले** द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के परिसर में पेड़ों की कटाई को रोके किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) **श्री शैलेश कुमार** द्वारा बिहार के भागलपुर में रेल मंडल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.08 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 8 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

GMGIPMRND—922LS(S-3)—07-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 8

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य प्रो॰ सांवर लाल जाट ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 26—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 67—135 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने और वर्ष 2011-2012 के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में 43वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 968(अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1180(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 382(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2014 जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का॰आ॰ 1182(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

5. राज्य सभा से संदेश

कि राज्य सभा ने 7 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014

7. समितियों के लिए निर्वाचनों हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''....इस मुद्दे पर, मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में सभा में और सभा के बाहर जो भी अपमानजनक टिप्पणी होती है, वह वास्तव में अशोभनीय है। मैं इससे चिन्तित हूं। ऐसी टिप्पणी किसी व्यक्ति, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हम सभी के लिए हरेक दृष्टिकोण से यह उपयुक्त होगा। इससे हमारे देश के भीतर और बाहर भी सांस्कृतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात होता है। यह स्थिति और चिंताजनक होती जा रही है। मैं चाहती हूं कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सभी प्रयास करें। महिलाओं पर ऐसी टिप्पणियां न हों, इसके लिए हम सब सावधानी बरतें।''

अपराह्न 12.08 बजे

9. बजट (रेल)—2014-15

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने रेल के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

10. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2011-12

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.12 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.10 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.10 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014

12. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी विवरण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.16 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री हरिभाई चौधरी द्वारा गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं और महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता हेतु अनुरोध करने वाले सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नेफेड द्वारा राजस्थान में बीकानेर के तिलम संघ और मूंगफली किसानों की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था के बारे में।

(4) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और घाघरा नदियों पर बाढ़ प्रबंधन तथा भूमि कटाव नियंत्रण परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा और घाघरा नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा उत्तर-पूर्व मुम्बई में साल्ट पैन भूमि पर स्वामित्व अधिकार के मुद्दे का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रताप सिम्हा द्वारा कर्नाटक में मैसूर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र को प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में रोहतास जिले को झारखंड में पलामू जिले से जोड़ने हेतु सोन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा नई दिल्ली स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल के सरकारी आवास को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी घाट संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ के॰ गोपाल द्वारा तमिलनाडु में नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिरुवरूर और कराईकुडी के बीच रेललाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुल्तान अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में अमटा और बगनान के बीच नई रेललाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जोस के॰ मणि द्वारा रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

उपलब्ध समय: 2 घण्टे
लिया गया समय: 18 मिनट
शेष समय: 1 घण्टा 42 मिनट

अध्यक्षपीठ ने सभा को सूचित किया कि श्री पी॰ करुणाकरन को मूल्य वृद्धि के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करनी थी, परंतु कांग्रेस दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा किए गए इस अनुरोध पर कि एक विशेष मामले के रूप में कैप्टन अमरिन्दर सिंह को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए, अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दे दी जिसके संबंध में श्री पी॰ करुणाकरन ने उल्लेख किया कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।

तद्नुसार, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने चर्चा उठाई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई)

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत हुई)

व्यवधान के कारण, कैप्टन अमरिन्दर सिंह अपना भाषण आरंभ नहीं कर सके।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अपराह्न 4.33 बजे

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 9 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

GMGIPMRND—964LS—08-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 जुलाई, 2014/18 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 9

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 43—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 136—288 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, कल से सभा की कार्यवाही के दौरान लोक सभा के कुछ सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से संसद में

जो थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, उससे हम सभी आहत हैं। सरकार की कुछ बातों से हम असहमत हो सकते हैं। माननीय सदस्यों की कुछ बातों और व्यवहार से भी हम आहत हो सकते हैं। सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के अनेक-अनेक तरीके हैं। एक ने सम्मान को ठेस पहुंचायी, तो दूसरे सदस्यों ने व्यवस्था बिगाड़ी, यह जरूरी नहीं है। यह संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनता ने हमें वोट दिया है, जो सदन में नियम तोड़ने या नियमों की अवहेलना न करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि राष्ट्र एवं जनता की भलाई के लिए नियम एवं कानून बनाने हेतु दिया है।

सांसद बनने के बाद जब हम यह अपेक्षा करते हैं कि मैं सांसद बना तो मेरे सम्मान की रक्षा हो, यह मेरा अधिकार है। वैसे ही सभा में नियमों का पालन करते हुए मर्यादित व्यवहार करना भी सदस्यों का कर्तव्य है। सदन में प्लाकार्ड्स प्रदर्शित करना अथवा किसी भी प्रकार का नारा नहीं लगाना चाहिए। सदन के वैल में धरना देना और सदन के अंदर अथवा बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अमर्यादित व्यवहार करना उचित नहीं है। सदन का सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनाये रखते हुए व्यवस्था बनाये रखना तथा सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करना यह अपने आप में हम सभी सम्मानीय सदस्यों का कर्तव्य बनता है। वास्तव में प्रजातंत्र का अर्थ ही स्वअनुशासन है। जब हम ही अव्यवस्था फैलाते हैं, तो अनेक-अनेक अवांछित प्रसंग या घटनाएं घटित होती हैं। आरोप-प्रत्यारोप तथा अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है, जिससे हम सब राष्ट्र की जनता और प्रजातांत्रिक मूल्य आहत होते हैं। संसद की मर्यादा को बनाये रखने के लिए सदस्यों द्वारा अनुशासन और शालीनता के मानदंडों का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोक सभा बुलेटिन में प्रतिदिन सदस्यों द्वारा संसदीय परम्पराओं तथा व्यवस्थाओं के पालन के बारे में लोक सभा प्रक्रिया तथा नियमों के प्रावधानों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मेरा सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम सब इस बात का निश्चय करें कि वैल में नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के प्लाकार्ड्स नहीं दिखाएंगे और सदन में अपनी समस्याओं को अपने स्थान से ही उठाएंगे और सदन की गरिमा को कायम रखते हुए सदन चलाएंगे।

माननीय सदस्यगण, पूरे देश की नज़र इस बात पर रहती है कि हम संसद में किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करती हूं कि वे अपने दल के सदस्यों को सदन में अमर्यादित आचरण से बचने पर बल दें। मैं सभी नेताओं तथा सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग दें। आसंदी का सम्मान भी अगर हम नहीं रखना चाहते, तो यह तो और भी गंभीर बात है।''

अपराह्न 12.11 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आर्थिक समीक्षा, 2013-2014

(दो) आर्थिक समीक्षा, 2013-2014 (सांख्यिकीय परिशिष्ट)

(2) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रशासनिक अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति) संशोधन नियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 205 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मुख्य निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 110 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.12 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान में कोटा विमानपत्तन से नियमित यात्री उड़ानें आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कीर्ति आजाद द्वारा देश की करेंसी नोटों में छपने वाली भाषाओं के समूह में मैथिली भाषा को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डोबरा चांटी पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के दुमका जिले के हंसदिहा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और देवघर में प्रस्तावित एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया द्वारा महुआ–सूरत एक्सप्रेस को मुम्बई तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा गया और मोतीहारी में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का नाम क्रमश: गौतमबुद्ध और महात्मा गांधी के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र में गढ़चिरोली और वडसा के बीच रेललाइन का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री नलीन कुमार कटील द्वारा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में सूखे और बीमारियों के कारण नारियल किसानों को हुए नुकसान के लिए उन्हें अधिकतम मुआवजा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जी॰ हरि द्वारा तमिलनाडु के अराकोनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं और सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुवेन्दू अधिकारी ने हल्दिया पत्तन न्यास प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालन्दा जिले में हरनौत कोच फैक्टरी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) मौलाना बदरुद्दीन अजमल द्वारा असम में बाढ़–पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और सहायता हेतु तत्काल कार्यवाही करने और राज्य में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजू शे्ट्टी द्वारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाओं और बेरोकटोक खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.13 बजे

6. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घण्टे, 39 मिनट

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 8 जुलाई, 2014 को उनके द्वारा मूल्य वृद्धि के बारे में उठाई गई चर्चा पर अपना भाषण पूरा किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰ करूणाकरन

*2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

(लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

3. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
4. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री आनंदराव अडसुल
7. श्री जैदेव गल्ला
8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़
9. श्रीमती कोथापल्ली गीता
10. श्री रामा किशोर सिंह
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री शैलेश कुमार *उर्फ* बूलो मंडल
13. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
14. श्री धर्मेन्द्र यादव
15. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
16. श्री निशिकांत दुबे
17. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
18. श्री दुष्यंत चौटाला

---

* उन्होंने अपना भाषण सभा के अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के पश्चात् पूरा किया।

19. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

20. श्री कौशलेन्द्र कुमार

21. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री रामविलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

#7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एम॰ वैंकैया नायडू ने कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 5.51 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि हम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को विचार के लिए लें, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 8 जुलाई, 2014 के संदेश द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक को सभा में पेश करने के लिए अपनी संस्वीकृति प्रदान कर दी है।''

अपराह्न 5.52 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 24 मिनट

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014, *राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई

2. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़

3. प्रो॰ सौगत राय

अपराह्न 2.39 बजे

4. मो॰ सलीम

5. श्री राजीव प्रताप रूडी

6. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

7. श्री पी॰ डी॰ राय

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 41 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.09 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 *जुलाई,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

---

*सायं 6.16 बजे से सायं 7.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1002LS(S-3)—09-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 10

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. बजट (सामान्य)—2014-15

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014-2015 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.50 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 1.14 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

श्री अरुण जेटली ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) वृहत्-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;
(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और
(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. सरकार विधेयक—पुर:स्थापित

वित्त विधेयक (संख्यांक 2), 2014

अपराह्न 1.15 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

दिनांक 09.07.2014 के समाचार भाग-1 संख्यांक 9 का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या 8, पंक्ति 9,—

''अनुसूची स्वीकृत हुई'' का *लोप* किया जाए।

GMGIPMRND—1042LS—10-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 जुलाई, 2014/20 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 11

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—65 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 66—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 289—417 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 218(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 21 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 346(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) बीईएमएल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2014-15 के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 8 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 164(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ सीसीआई/अमेंड/कॉम्ब/आरईजीएल/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/2/85/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्ति) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/3/86/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा सर्वेक्षक और नुकसान निर्धारक (अनुज्ञापन, व्यावसायिक अपेक्षाएं और आचार संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/4/87/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/5/88/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तीसरा पक्ष प्रशासक—स्वास्थ्य सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/1/84/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 जो 10 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/25/83/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2013 जो 10 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/22/80/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 112(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 30 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अप्रवर्तनशील विदेशी मुद्रा निक्षेपों का क्रिस्टलीकरण) विनियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और संदाय की रीति) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 361(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियम, 2014 जो 30 मई, 2014

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 370(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा या कार्यालय या कारबार के अन्य स्थल का भारत में स्थापन) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 372(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 374(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 362(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 12 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 400(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 12 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 399(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2013 जो 8 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 666/20/आईआर/420 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आंध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 666/3/पी/241 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2013 जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ बीसीसी/एचआरएम/आईएल/105/9355-ए में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ बीसीसी/एचआरएम/आईएल/105/9355-बी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 21 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 155 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2013 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 8 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 1/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एचआरडब्ल्यू; आईआरएस/एसजे/1/2306/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) की मद सं॰ (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारत व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 123(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में सोडियम नाइट्रेट के आयातों पर 26 फरवरी, 2014 से 25 फरवरी, 2015 (दोनों दिवस शामिल) तक 30 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से जिसमें प्रतिपाटन शुल्क शामिल नहीं है तथा 26 फरवरी, 2015 से 25 मई, 2015 (दोनों दिवस शामिल) तक 28 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से जिसमें प्रतिपाटन शुल्क शामिल नहीं है, सुरक्षा शुल्क अध्यारोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 178(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एसीटोन' के आयातों पर पांच वर्ष की समयावधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 179(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटा फिनाइलीन डायमाइन' के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 22 मार्च, 2013 से पांच वर्ष की समयावधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 181(अ) जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 6 मिलीमीटर और उससे अधिक की मोटाई वाले सादे मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड के आयातों पर एक और वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 26 फरवरी, 2015, जिसमें वह दिवस भी शामिल है, तक प्रतिपाटन शुल्क प्रभार बढ़ाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 193(अ) जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित लाल फास्फोरस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग में प्रयुक्त लाल फास्फोरस शामिल नहीं है, के आयातों पर पांच वर्ष की समयावधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 194(अ) जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय यूनियन, चीन जनवादी गणराज्य, यूक्रेन और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम नाइट्रेट' के आयातों पर छह माह की समयावधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 280(अ) जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मोटरयानों में प्रयुक्त कास्ट एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स अथवा अलॉय रोड व्हील्स', के आयातों पर छह माह की समयावधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 329(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्राकृतिक स्वरूप को छोड़कर सभी रूप में विटामिन-ई' के सभी स्वरूप के आयातों का प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 26 मार्च, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 330(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

द्वारा किए जा रहे सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उद्भूत अथवा वहां से नियार्तित 'फ्लैक्स फैब्रिक' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 25 मार्च, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 331(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड में उद्भूत अथवा वहां से नियार्तित 'ऑल फुल्ली ड्रान अथवा फुल्ली ओरिएंटेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न आफ पॉलिस्टर' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 25 मार्च, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 332(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 302011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) साका॰नि॰ 337(अ) जो 12 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चीनी ताईपेई), थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोल्ड रॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 21 अप्रैल, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 342(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नायलन टायर कॉर्ड फेब्रिक' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के

लिए अर्थात् 28 अप्रैल, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 343(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमेरिका और ताईवान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पेरोक्सोसल्फेट', के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को पांच वर्ष की अवधि तक अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा०का०नि० 344(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसरण में चीनी ताइपेई और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनॉल', के आयातों पर छह माह की समयावधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 347(अ) जो 21 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से नियार्तित 'मिथिलीन क्लोराइड' के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 21 अक्तूबर, 2013 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 391(अ) जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यार्तित 'प्रेजेंटाइज्ड पोजिटिव ऑफसेट एल्युमिनियम प्लेट्स' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 404(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ और मेक्सिको में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'विनायल क्लोराइड मोनोमर' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 405(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'विनाइल क्लोराइड मोनोमेर का होमोपॉलीमर' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 414(अ) जो 19 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रक्रमण या इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीन्स' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् 11 मई, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, के लिए बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 121(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 17/2013-सीई(एनटी) को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 122(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 18/2013-सीई(एनटी) को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2014 जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 134(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 135(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 136(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-सीई(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 137(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातकों सहित रेजिस्ट्रेंटों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए संशोधित तिमाही विवरणी प्ररूप को विहित किया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 201(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 6/2012-सीई(एनटी) को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 202(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेनवैट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 203(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 204(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 05/2012-सीई(एनटी) का अधिक्रमण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 106(अ) जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 90(अ) जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 108(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 139(अ) जो 3 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 5ख के अंतर्गत कतिपय सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 5ख के अंतर्गत सेनवैट क्रेडिट का रिफण्ड प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, रक्षोपाय, शर्तें तथा सीमाओं को अधिसूचित किया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 107(अ) जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 6/2013-सेवा कर में संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 749(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 91(अ) जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 92(अ) जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 93(अ) जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 245(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 255(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 105(अ) जो 24 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 93/2009-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकन सक्षमता के आंतरिक विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2014 जो 12 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 334(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विनियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीजीबीए॰सीडीडी 5434/11.22.001/2013-14 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1424(अ) जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो चौदहवें वित्त आयोग के गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों तथा उससे संबंधित मामलों, जून, 2014 के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन (संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 जनवरी, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएमडी को नं॰ 3809/21/01/2012-2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.04 बजे

4. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री संतोष कुमार गंगवार ने 14 जुलाई, 2014 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

5. प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 9 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2011-12

8. **श्री अरुण जेटली** ने वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.15 बजे

7. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

8. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 3) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.20 बजे

***9. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत हुआ**

लिया गया समय : 26 मिनट

श्री बी॰ विनोद कुमार ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2014 को प्रख्यापित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है''।

चर्चा के *पश्चात्* जैसाकि नीचे *पैरा 10* में दर्शाया गया है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

***10. सरकारी विधेयक—पारित**

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

$प्रो॰ सौगत राय द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्य श्री सौगत राय ने तर्क दिया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 को संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करते हुए संबंधित राज्य विधानमंडलों को सौंपे बिना लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

माननीय सदस्यगण, विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। इस मुद्दे पर कि यह विधेयक अनुच्छेद 3 के उल्लंघन में पुर:स्थापित किया गया है अथवा नहीं, संविधान के उपबंधों का निर्वचन किए जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यगण इस बात का महत्व समझेंगे कि

---

*एक साथ चर्चा की गई।

$अपराह्न 12.29 बजे।

संविधान के उपबंधों का निर्वचन मुख्यत: न्यायालय का उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, उठाया गया प्रश्न सभा के कार्य को व्यवस्थित करने से संबंधित नहीं है।

अत:, मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करती हूँ।''

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (**देखिए** उपर्युक्त पैरा 9) तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी

2. श्री भर्तृहरि महताब

श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.46 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.01 बजे

11. (एक) बजट (रेल)—2014-2015

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेल)—2011-2012

आबंटित समय: 10 घण्टे
लिया गया समय: 1 घण्टा 31 मिनट
शेष समय: 8 घण्टे 29 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:—

(एक) बजट (रेल)—2014-2015 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (रेल)—2011-2012 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की माँग संख्या 12 और 13

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री राकेश सिंह
3. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
4. श्री योगी आदित्यनाथ (भाषण अपूर्ण)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अपराह्न 3.32 बजे

12. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री निशिकांत दुबे का राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014

(2) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन।

(3) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुसूची का संशोधन)।

(4) श्री निशिकांत दुबे का बिहार पुर्नगठन (संशोधन) विधेयक, 2014 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(5) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल का राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग विधेयक, 2014

(6) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल का विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध और प्रवासी भारतीयों का कल्याण विधेयक, 2014

(7) श्री शरद त्रिपाठी का लघु और सीमांत कृषक (कल्याण) विधेयक, 2014

(8) श्री शरद त्रिपाठी का भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2014

(9) श्री बैजयंत पांडा का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

(10) श्री अर्जुन मेघवाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 364 क का संशोधन, आदि)।

(11) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(12) श्री अर्जुन मेघवाल का चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 4 का संशोधन)।

(13) श्री अर्जुन मेघवाल का नवीकरणीय ऊर्जा (संवर्धन और अनिवार्य उपयोग) विधेयक, 2014

(14) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' का शैक्षिक संस्थाओं में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2014

(15) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' का पर्यावरण संरक्षण परिषद विधेयक, 2014

(16) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' का केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014

(17) श्री हंसराज गंगाराम अहीर का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2014 (धारा 2 का संशोधन)

(18) श्री हंसराज गंगाराम अहीर का उपभोक्ता वस्तुएं (उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य का अनिवार्य मुद्रण) विधेयक, 2014

(19) श्री हंसराज गंगाराम अहीर का गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2014

(20) श्री हंसराज गंगाराग अहीर, का ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2014

(21) श्री योगी आदित्यनाथ का गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2014

(22) श्री योगी आदित्यनाथ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

(23) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 109 का संशोधन, आदि)

(24) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)।

(25) श्री राजू शेट्टी का राष्ट्रीय कृषि उपज मूल्य आयोग विधेयक, 2014

(26) श्री भर्तृहरि महताब का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(27) श्री भर्तृहरि महताब का जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(28) श्री भर्तृहरि महताब का पब्लिक सेक्टर बैंक (गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का नियंत्रण) विधेयक, 2014

(29) श्री भर्तृहरि महताब का वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014

(30) श्री विनसेंट एच॰ पाला का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (नई धारा 14क का अंत:स्थापन)

(31) श्री विनसेंट एच॰ पाला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

अपराह्न 3.55 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''हिमालयी राज्यों की रणनीतिक, भौगोलिक स्थिति तथा अवस्थान, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भू-स्खलन, बादल फटने, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं जिनके कारण जान और माल का भारी नुकसान होता है, पर विचार करते हुए तथा इन राज्यों विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एक स्वतंत्र केन्द्रीय मंत्रालय गठित करने का आग्रह करती है, जो इन राज्यों के समग्र और त्वरित विकास के लिए उत्तरदायी होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा—

(एक) हिमालयी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा उनका समग्र विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना;

(दो) पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना;

(तीन) विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना; और

(चार) नई रेलवे लाइनें बिछाने, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने, सड़कों का निर्माण करने और अन्य अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाएं आरंभ करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुशंसा करना तथा प्रवास को रोकने के लिए हिमालयी राज्यों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ सौगत राय
2. श्री प्रेम दास राई
3. श्री निनोंग इरिंग
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री भर्तृहरि महताब (भाषण अपूर्ण)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 6.56 बजे

(लोक सभा सोमवार, 14 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.56 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1110LS—11-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 जुलाई, 2014/23 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 12

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—87 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 88—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 418—585 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 3-24/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 311-33/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 के अंतर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 477(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआऊट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 95 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 307(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 152 देशों को उक्त अधिनियम के उपबंध के प्रयोजनार्थ अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से अभिसमय देशों के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2745(अ) जो 8 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 152 देशों को उक्त अधिनियम के उपबंध के प्रयोजनार्थ अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से अभिसमय देशों के रूप में घोषित किया गया है।

(5) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस सहित अत्यंत न्यून पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस अथवा उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञप्ति उपेक्षा से छूट) नियम, 2014, जो 11 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 83(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 912(अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित चेयरमेन, उप-चेयरमेन और सदस्यों से मिलकर बनी केन्द्रीय शिक्षुता परिषद का पुनर्गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किए जाने के बारे में है।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2014 जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 159(अ) जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लक्षद्वीप की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के स्नातकों को प्रशिक्षण की अवधि में रियायत दिए जाने के बारे में है।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 1/2/2014-सीएल-I जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे निकाय जिसे उपर्युक्त धारा 8 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, लागू नहीं होंगे अथवा अधिसूचना के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन के साथ पर लागू होंगे।

(दो) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 1/1/2014-सीएल-V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, निजी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू होंगे।

(तीन) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 1/2/2014-सीएल-V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा

उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू नहीं होंगे।

(चार) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 2/11/2014-सीएल-V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, यथा अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, निजी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा निधियों की उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू होंगे।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय, नियम, 1998 के नियम 11 (2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार

(नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति के रूप में निर्दिष्ट) की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.15 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बाणसागर समझौते के अधीन बिहार को सोन नदी के जल का आवंटित हिस्सा दिए जाने और कदवन जलाशय परियोजना के रुके कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में विशेषत: वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.15 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करौली–धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चम्बल लिफ्ट परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्ययकता के बारे में।

(5) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनिज भंडारों का पता लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री संजय धोत्रे द्वारा रतलाम–फतेहाबाद–इंदौर–मऊ–खंडवा–अमलखुर्द–अकोट–अकोला–खंड के आमान–परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कमलेश पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने और मंदिर स्थल पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार में खेती की सिंचाई को सुगम बनाने के लिए राज्य में नहरों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कुट्टानाड क्षेत्र में बाढ़ रोकने और बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए कुट्टानाड पैकेज के अधीन घोषित शेष निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी॰ वेणुगोपाल द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत बीमाकृत राशि के 2 प्रतिशत से अधिक के प्रीमियम के अतिरिक्त भार को तमिलनाडु सरकार के साथ समान रूप से बांटे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम के दायरे से बाहर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में चूकरहित सामुद्रिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा विख्यात परमाणु वैज्ञानिक होमी जे॰ भाभा के मुम्बई में मालाबार हिल्स स्थित बंगले का अधिग्रहण किए जाने और उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के उड्डनम क्षेत्र में वृक्क संबंधी रोगों से निपटने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी द्वारा तेलंगाना राज्य के बय्याराम में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार में सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को ''राष्ट्रीय मेला'' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.18 बजे

@7. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 1 घण्टा 1 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 मई, 2014 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे **पैरा 8** में दर्शाया गया है, संकल्प अस्वीकृत हुआ।

@8. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

---

*अपराह्न 12.16 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@ एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (**देखिए** उपर्युक्त पैरा 7) तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री राजीव प्रताप रूडी
3. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. डॉ॰ धर्म वीरा गांधी
6. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
7. श्री राजेश रंजन
8. श्री मल्लिकार्जुन खरगे

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 1.19 बजे

9. (एक) बजट (रेल)—2014-2015
(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 2011-2012

आबंटित समय	:	10 घण्टे
लिया गया समय	:	8 घण्टे 17 मिनट
शेष समय	:	1 घण्टा 43 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा ली गई:—

(एक) बजट (रेल)—2014-15 पर सामान्य चर्चा और;

(दो) बजट (रेल) 2011-2012 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 12 और 13

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री योगी आदित्यनाथ (अपना भाषण आरंभ किया)
2. श्री दिनेश त्रिवेदी
3. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
4. श्री चन्द्रकांत खैरे
*5. श्री शरद त्रिपाठी
6. श्री राम मोहन नायडु किंजरापु
*7. श्री देवजी एम॰ पटेल
8. श्री कडियम श्रीहरि
*9. श्री बी॰एस॰ येदियुरप्पा
10. श्री एम॰बी॰ राजेश
*11. श्री सतीश कुमार गौतम
*12. श्रीमती संतोष अहलावत
*13. श्री कपिल मोरेशवर पाटील
*14. डा॰ यशवंत सिंह
*15. श्रीमती रमा देवी
*16. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
*17. श्री धमेन्द्र यादव
18. श्री रामचन्द्र पासवान
*19. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
*20. श्री भर्तृहरि महताब
*21. श्री राहुल कस्वां
*22. श्री पी॰के॰ बिजू
*23. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
*24. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
25. श्री धनंजय महाडीक
*26. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा
28. श्री पी॰सी॰ मोहन
29. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
*30. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
31. श्री शेर सिंह गुबाया
32. श्री अक्षय यादव
*33. श्री आर॰ पार्थिपन
*34. श्री दिनेश कश्यप
*35. श्री अजय मिश्रा टेनी
36. श्री रतन लाल कटारिया
*37. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी
*38. श्री प्रेम दास राय
39. श्री एच॰डी॰ देवगौडा
*40. साध्वी निरंजन ज्योति
*41. श्री बाबूलाल चौधरी
42. श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन
*43. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
44. श्री ई॰ अहमद
*45. श्री केशव प्रसाद मौर्य
*46. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
47. श्री बदरूद्दीन अजमल
48. श्री पी॰पी॰ चौधरी
*49. डॉ॰ के॰ गोपाल
*50. श्री पी॰ कुमार
*51. श्रीमती आर॰ वनरोजा
*52. श्री अर्जुनलाल मीना
*53. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

54. श्री राजीव सातव
*55. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर
*56. प्रो॰ चिन्तामणि मालवीय
*57. श्री चंदूलाल साहू
*58. डॉ॰ बंशीलाल महतो
*59. श्रीमती सुप्रिया सुले
60. श्री सुवेन्दू अधिकारी
*61. श्री विद्युत वरण महतो
62. श्री गजानन कीर्तिकर
*63. श्री के॰ परसुरमन
64. श्री राम कुमार शर्मा
*65. श्री आर॰के॰ भारती मोहन
*66. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
*67. श्री नलीन कुमार कटील
*68. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे
69. डॅा॰ सत्यपाल सिंह
*70. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
*71. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण
*72. श्री वी॰ एलुमलाई
*73. श्री देवुसिंह चौहान
74. श्री धर्म वीर गांधी
75. श्री थोटा नरसिम्हम
*76. श्री के॰ अशोक कुमार
77. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
*78. श्रीमती अंजू बाला
*79. श्रीमती रेखा वर्मा
*80. श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

81. श्री विजय कुमार हांसदाक
*82. श्री हरिनारायन राजभर
83. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
84. श्री विजय कुमार एस॰आर॰
*85. श्री विष्णु दयाल राम
86. श्री राम टहल चौधरी
*87. श्री शिवकुमार उदासी
88. श्री जोस॰ के॰ मणि
89. कुंवर भरतेन्द्र सिंह
*90. श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथन
91. श्री राजेश रंजन
*92. श्री रामसिंह राठवा
*93. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
94. श्री गणेश सिंह
*95. श्री ओम बिरला
*96. श्री रामचरण बोहरा
*97. श्री पी॰ करूणाकरन
98. श्री संतोष कुमार
*99. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
100. श्री जगदम्बिका पाल
*101. श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया
*102. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
*103. श्री कौशलेन्द्र कुमार
*104. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
105. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
*106. श्री जनार्दन मिश्रा
*107. श्री एम॰ मुरली मोहन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

108. श्री राजवीर सिंह
109. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
*110. श्री शैलेश कुमार
111. डॉ॰ भोला सिंह
112. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
113. श्री एम॰के॰ राघवन
114. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
*115. श्री संजय धोत्रे
*116. श्री पी॰आर॰ सुन्दरम

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

#रात्रि 8.47 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 8.05 बजे से रात्रि 8.47 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1163LS(S-3)—14-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 जुलाई, 2014/24 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 13

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—103 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.41 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 104—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 586—774 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) खुदा बख़्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख़्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्युजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्युजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहुंग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहुंग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कर्नाटक एंटीबायटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(26) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योद्धक लेखा संवर्ग, समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2014, जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 209(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 94(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(30) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 और 28 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बैनिंग ऑफ मीरेक्स आर्डर, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 910(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बैनिंग ऑफ हेक्साक्लोरोबेंजीन आर्डर, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 911(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(31) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 14 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री किरेन रिजीजू ने श्री राजनाथ सिंह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उक्त अधिनियम

की धारा 4(3) के अनुसार उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपने में से 20 सदस्यों को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने एक भारतीय पत्रकार की पाकिस्तान में हाफिज सईद से हुई कथित भेंट के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.12 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा नई दिल्ली और कानपुर के बीच चलने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस को झांसी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा डांडी हेरिटेज रूट के रूप में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 के विकास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान में जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने तथा उन्हें देय मानदेय की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 12.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री सुरेश सी॰ अंगडी द्वारा कर्नाटक में कुडाची-बगलकोट रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित किसानों की कृषि भूमि के एवज में राज्य के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कम्माकेरी गांव के किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया द्वारा खिजडिया-अमरेली-विसवादार-जूनागढ़ रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन तथा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल सम्पर्क उपलब्ध कराने हेतु रेल सुविधाओं को बढ़ाए जाने तथा उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के बूंदी शहर में विकास कार्य को सुगम बनाने के लिए इस शहर को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र में लागू वन कानूनों से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राजीव एस॰ सातव द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री आर॰पी॰ मरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा तमिलनाडु के अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कूट्टेरिपट्टु गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर पुल अथवा अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में सागर द्वीपसमूह पर रेल सम्पर्क सुविधायुक्त डीप सी-पोर्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती शताब्दी राय द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 की मरम्मत किए जाने और उसे चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ साधु सिंह द्वारा पंजाब में बच्चों और युवाओं के अपहरण और उनके गायब होने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री संतोष कुमार द्वारा विशेषत: बिहार के पूर्णिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) मोहम्मद फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप के लिए एम॰बी॰बी॰एस॰ की सीटों का कोटा दोगुना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जोस के॰ मणि द्वारा कृषि ऋण की अदायगी न किए जाने की दशा में संपार्श्विक प्रतिभूति की कुर्की किए जाने से रबड़ प्लांटेशन क्षेत्र को राहत और छूट देने हेतु प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.19 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.45 *बजे पुन: समवेत हुई)*

@अपराह्न 12.45 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

इजराइली सेनाओं द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों पर कथित हमले के कारण गाजा में स्थिति के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने इजराइली सेनाओं द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों पर कथित हमले के कारण गाजा में स्थिति के बारे में निवेदन किए:—

*1. कुमारी महबूबा मुफ्ती

2. डॉ॰ शशी थरूर

3. श्री ई॰ अहमद

4. प्रो॰ सौगत राय

5. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

6. श्री पी॰ करूणाकरण

7. श्री असादुद्दीन ओवैसी

8. श्री मुलायम सिंह यादव

श्री पी॰के॰ बिजू सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

@अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*अपराह्न 12.08 बजे।

अपराह्न 1.01 बजे

9.(एक) बजट (रेल)—2014-2015

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2011-2012

लिया गया समय: 13 घण्टे 16 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा ली गई:—

(एक) बजट (रेल)—2014-15 पर सामान्य चर्चा और;

(दो) बजट (रेल)—2011-12 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 12 और 13

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रह्लाद जोशी
*2. श्री सुधीर गुप्ता
*3. श्री हरिभाई चौधरी
*4. श्री जी॰ हरि
*5. श्री सी॰ महेंद्रन
*6. श्री चांद नाथ
*7. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
*8. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
*9. श्री एम॰ उदय कुमार
*10. श्री अनिल शिरोले
*11. श्रीमती पूनम महाजन
*12. श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*13. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
*14. श्री वी॰ पन्नीरसेलवम
*15. श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी
*16. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*17. श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन

*18. श्रीमती के॰ मरगथम

*19. श्रीमती रंजीत रंजन

*20. श्री आर॰पी॰ मरुदराजा

*21. डॉ॰ सिद्धांत महापात्रा

*22. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव

*23. श्री रामचन्द्र हांसदा

24. श्री ताम्रध्वज साहू

25. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*26. कुँवर सर्वेश कुमार

*27. श्री रविन्द्र कुशवाहा

*28. श्री अजय निषाद

*29. डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज

*30. श्री रामदास सी॰ तडस

*31. श्री तारिक अनवर

32. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी

*33. श्री ए॰ अनवर राजा

34. श्री हंसराज गंगाराम अहीर

*35. श्री झीना हीकाका

*36. श्रीमती सकुंतला लागुरी

*37. श्रीमती रीता तराई

*38. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान

*39. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

40. श्री विनायक भाऊराव राऊत

41. श्री राम कृपाल यादव

*42. श्रीमती कृष्णा राज

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*43. श्रीमती रक्षाताई खाडसे
44. श्री आर॰ राधाकृष्णन
45. श्री दुष्यंत चौटाला
*46. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे
47. श्री नेफिउ रिओ
*48. श्री पी॰ नागराजन
*49. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
50. श्री रमेश बिधूड़ी
51. श्री पी॰वी॰ मिदून रेड्डी
52. डॉ॰ अंबुमनी रामादोस
53. श्री राजन विचारे
54. श्री सुशील कुमार सिंह
*55. श्री बी॰ श्रीरामुलु
56. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
57. श्री अभिषेक सिंह
*58. श्री एंटो एन्टोनी
59. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
*60. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
*61. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
62. श्री सुनील कुमार सिंह
*63. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
64. श्री नन्दी येल्लैया
*65. श्री लडु किशोर स्वाइं
*66. श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले
67. श्री सी॰आर॰ चौधरी
68. श्री नगेश गोडम

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*69. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी

*70. साध्वी सावित्रीबाई फूले

71. श्री भरत सिंह

72. श्री जितेन्द्र चौधरी

73. श्री लल्लू सिंह

74. श्री बलभद्र माझी

*75. श्रीमती संध्या रॉय

*76. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

77. श्री कमलभान सिंह मराबी

*78. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

79. श्री भगवंत मान

80. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*81. श्री बृजभूषण शरण सिंह

*82. श्रीमती अपरूपा पोद्धार

83. श्री सी॰एल॰ रूआला

*84. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*85. श्री सुभाष बहेड़िया

*86. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*87. श्रीमती पूनमबेन माडम

88. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*89. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*90. श्री कमलेश पासवान

*91. श्री सी॰ गोपालकृष्णन

92. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

*93. श्री बोध सिंह भगत

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

94. श्री सी॰आर॰ पाटील

95. श्रीमती संतोष अहलावत

96. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

*97. डॉ॰ कुलमणि सामल

*98. डॉ॰ ए॰ सम्पत

*99. श्री लखन लाल साहू

100. श्री हुकुम सिंह

101. श्री जुगल किशोर शर्मा

*102. श्री रविन्द्र वी॰ गायकवाड

103. श्री दद्दन मिश्रा

*104. श्री पंकज चौधरी

*105. श्री विक्रम उसेंडी

106. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*107. श्री इन्नोसेन्ट

108. श्री विनोद कुमार सोनकर

*109. श्री पशुपति नाथ सिंह

110. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*111. श्री राम चरित्र निषाद

*112. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

113. श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय

114. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*115. श्री अशोक महादेवराव नेते

*116. श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान

*117. श्रीमती कमला देवी पाटले

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*118. श्री राहुल रमेश शेवाले

*119. श्री विनोद खन्ना

*120. श्री अश्विनी कुमार चौबे

*121. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*122. श्री कीर्ति वर्धन सिंह

*123. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया

*124. डॉ॰ रामशंकर कठेरिया

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 12 और 13 वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 5.47 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2, 2014

11. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2, 2014

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

12. नियम 331छ के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान पर इसके अनुप्रयोग में लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को निलंबित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.54 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि सभा अब वर्ष 2014-2015 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर मतदान करेगी। हालांकि, अनुदानों की मांगों को विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपे जाने के बिना पारित करने के लिए सभा को समर्थ बनाने हेतु प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को निलंबित कर दिया गया है, तथापि, ये मांगें रेल संबंधी स्थायी समिति के गठन के पश्चात् जांच और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उक्त समिति को सौंपी गईं मानी जाएंगी ताकि समिति उपयुक्त सिफारिशें कर सके जिनका प्रयोग आगामी वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों को तैयार करने के लिए किया जा सकेगा।''

14. बजट (रेल)—2014-2015

वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, कार्य मंत्रणा समिति ने 11 जुलाई, 2014 को स्वीकृत अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि वर्ष 2014-2015 के लिए अनुदानों की मांग (रेल) को बजट (रेल), 2014-2015 पर सामान्य चर्चा और वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा और मतदान से संबंधित मदों की समाप्ति के तत्काल पश्चात् लिया जाए तथा बिना चर्चा के पारित किया जाए। चूंकि कटौती प्रस्तावों को पेश करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, मैं सभी कटौती प्रस्तावों, जो परिचालित किए गए हैं, को पेश किया गया मानती हूं।''

वर्ष 2014-2015 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16

पेश हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 5.56 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2014

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2014

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#सायं 6.39 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

#सायं 6.00 बजे से सायं 6.39 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1193LS(S-3)—15-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 जुलाई, 2014/25 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 14

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121—126 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 127—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 775—984 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं* को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 13.3.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

(2) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं@ को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

@वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 8.5.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 402(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, विलुप्तप्राय पादप और जंतुओं की प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. कयर बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों

के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य, ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.11 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

10. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 1) की प्रख्यापना द्वारा तत्काल विधान के लिए कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.16 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में अन्य पिछड़े वर्गों को अनिवार्य 19 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई और अरवल जिलों में सड़क निर्माण पुन: शुरू करने के लिए एल॰डब्ल्यू॰ई॰ फेस-II योजना के अंतर्गत निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री चांद नाथ द्वारा भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड में सहभागी राज्यों से रोटेशन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में तारामंडल के साथ साइंस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.16 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा दक्षिण गुजरात में डाक सेवाओं के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सूरत के डाकघरों में सभी रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अर्जुन लाल मीना द्वारा राजस्थान के उदयपुर मंडल मुख्यालय में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना में आई॰आई॰टी॰ या आई॰आई॰एम॰ के साथ-साथ केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोले जाने और राज्य में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राहुल कस्वां द्वारा गाड़ी संख्या 22481/22482 (जोधपुर-दिल्ली) को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे उत्तराखंड में हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा केरल के हितों की रक्षा हेतु पश्चिमी घाटों के संबंध में प्रो॰ माधव गाडगिल और डॉ॰ के॰ कस्तूरीरंगन की रिपोर्टों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों/परम्परागत समुदायों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री ए॰ अनवर राजा द्वारा सफेद, लाल और काली किस्म के सी-ककम्बर्स को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुल्तान अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में बैंकिंग और एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ सिद्धांत महापात्रा द्वारा ओडिशा के बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गंजम तट पर आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता और अच्छा उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में पुरी और पारादीप के बीच चलने वाली सीधी रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा महाराष्ट्र के परभनी जिले में सभी पात्र किसानों को मुआवजे का समुचित वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) मौलाना बदरूद्दीन अजमल द्वारा असम में विदेशियों के मुद्दे का समुचित और स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम जिले में पारीपल्ली में ई॰एस॰आई॰सी॰ मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

***12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष कुमार गंगवार ने कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.17 बजे

13. (एक) बजट (सामान्य)—2014-15

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2011-12

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 10 घण्टे
लिया गया समय : 5 घण्टे 45 मिनट
शेष समय : 4 घण्टे 15 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा ली गई।

(एक) बजट (सामान्य)—2014-15 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (सामान्य)—2011-12 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21, 24, 31 और 100

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया

#2. श्री जयंत सिन्हा

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

3. डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै

4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

5. श्री भर्तृहरि महताब

---

*अपराह्न 2.53 बजे।

#उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण पुन: आरम्भ किया।

*6. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*7. श्री एम॰ उदयकुमार

8. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव

9. श्री एम॰ श्रीनिवास राव

10. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

11. श्री मोहम्मद सलीम

*12. श्री गणेश सिंह

*13. श्री हरिनरायन राजभर

14. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

15. श्री चिराग पासवान

16. श्री तारिक अनवर

17. डॉ॰ शशि थरूर

*18. श्री अनिल शिरोले

19. डॉ॰ किरीट सोमैया

20. श्री देवुसिंह चौहान

21. श्री ए॰ अनवर राजा

*22. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

23. श्री बी॰ एस॰ येदियुरप्पा

24. श्री धर्म वीर गांधी

25. श्री भगत सिंह कोश्यारी

26. श्री आनंदराव अडसुल

27. डॉ॰ रविन्द्र बाबू

28. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 7.41 बजे

(लोक सभा गुरुवार 17 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

#सायं 7.02 बजे से सायं 7.41 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1328LS(S-3)—16-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 17 जुलाई, 2014/26 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 15

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पहली लोक सभा के सदस्य श्री केनटी मोहन राव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 985—1214 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) सुश्री उमा भारती निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वापकोष लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 294(अ) जो 31 जनवरी, 2014

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट वर्ष 2013-2014 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन का न्यूनतम 90% तथा चीनी के 20% पैकेजिंग की जूट पैकिंग अनिवार्य की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टीएचडीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम (निगम के चेयरमेन, सदस्य और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति की श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी तैनाती किए जाने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) रेल लैंड डेवलपमेंट अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैंड डेवलपमेंट अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2, 20 और 36 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 376(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि रेल यात्री कोचों में अथवा स्टेशन परिसर या स्टेशन परिसर में रेल की पटरियों पर वाटर फ्लश सेनेटरी शौचालयों की सफाई के लिए नियोजित किसी व्यक्ति को उनमें उल्लिखित, सुरक्षात्मक गीयर और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 377(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ''रेल प्राधिकारी'' से, संबंधित मंडलों के क्षेत्राधिकार वाला अपर रेल मंडल प्रबंधक और मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों/कार्यशालाओं, शेडों आदि तथा संबंधित उत्पादन इकाइयों अथवा शोध अभिकल्प और मानक संगठन के क्षेत्राधिकार में सफाई बनाए रखने वाले विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी अभिप्रेत है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 378(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्वास्थ्य अथवा वाणिज्यिक निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है और जहां कहीं भी उन्हें स्वच्छता की निगरानी का कार्य समनुदिष्ट किया गया है, उनमें एतद्द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर शक्तियां निहित की जाती हैं जिसका अभिनिश्चय मंडल में अपर रेल मंडल प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी और संबंधित उत्पादन इकाइयों अथवा शोध अभिकल्प और मानक संगठन के क्षेत्राधिकार में स्वच्छता बनाए रखने वाले विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

17. वर्ष 2014-2015 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

***5. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के सदस्य देशों के सम्मेलन (सीओपी) की भारत की अध्यक्षता के दौरान नगोया प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 16 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* अपराह्न 2.00 बजे उन्होंने अपने लिखित वक्तव्य के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

#अपराह्न 12.03 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

हाफिज सईद के साथ एक पत्रकार की हुई बैठक के बारे में

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने हाफिज सईद के साथ एक पत्रकार की हुई बैठक के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

@श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और हमीरपुर जिलों में नदियों से अवैध तरीके से रेत खनन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ नैपाल सिंह द्वारा देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हर वर्ष घाघरा नदी में बाढ़ और इसके कारण कटाव को रोकने के लिए उक्त जिले में घाघरा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री बाबूलाल चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा के बीच एक ब्रॉड गेज़ रेललाइन के निर्माण हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान में विशेष रूप से बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे

#अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.17 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@अपराह्न 12.31 बजे।

गए कृषि उत्पादों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती अंजू बाला द्वारा उत्तर प्रदेश में कन्नौज से सीतापुर एक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और कस्बों के विद्युतीकरण कार्य को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल के तेलीचेरी अथवा वटकरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु में कुंबाकोनम से विरुद्धाचलम बड़ी रेललाइन को पूरा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने और त्रिची से तंजावुर, कुंबाकोनम तक रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री के॰एन॰ रामचंद्रन द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण स्थापित किए जाने और भारतीय पुरातत्व विभाग को वहां रहने वाले लोगों से निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर न दिए जाने हेतु उपयुक्त आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ रत्ना (नाग) डे द्वारा देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नेशनल रूरल लाईवलीहुड मिशन के अंतर्गत बैंकों और स्व-सहायता समूहों के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती वीणा देवी द्वारा देश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. सरकारी विधेयक—नहीं लिया गया

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन, विधेयक, 2014

इस मद पर पहुंचने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि यदि विधेयक का स्थायी समिति को सौंपा जाता है, तो उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। विधेयक को

विचार किए जाने के लिए नहीं लिया गया तथा अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि उसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाएगा।

अपराह्न 12.21 बजे

11. (एक) बजट (सामान्य)—2014-2015

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2011-12

लिया गया समय : 14 घंटे 03 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें ली गईं—

(एक) बजट (सामान्य)-2014-2015 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (सामान्य)-2011-12 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13,21 24, 31 और 100.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
*2. श्री हरिशचन्द्र चव्हाण
*3. श्री पी॰ कुमार
*4. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन
*5. श्री वी॰ एलुमलाई
*6. श्रीमती रक्षाताई खाडसे
*7. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील
*8. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
*9. श्री एम के राघवन
*10. श्री हरिभाई चौधरी
11. डॉ॰ उदित राज
*12. श्री शदर त्रिपाठी

---
* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*13. श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदर

*14. प्रो॰ सौगत राय

15. प्रो॰ सुगत बोस

*16. श्री धर्मेन्द्र यादव

*17. श्री रायपति साम्बासिवा राव

18. श्रीमती पूनम महाजन

*19. श्री जी॰ हरि

*20. श्री राकेश सिंह

*21. श्री पी॰ के बिजू

22. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

*23. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)

*24. श्री डी॰ के॰ सुरेश

*25. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

26. श्री राजेश रंजन

*27. श्री अभिजीत मुखर्जी

*28. श्री नलीन कुमार कटील

*29. साध्वी निरंजन ज्योति

*30. श्री आर॰ गोपालकृष्णन

31. प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस

32. श्री ओम बिरला

*33. श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी

34. श्री बदरुद्दीन अजमल

35. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*36. श्री बी॰ विनोद कुमार

*37. एडवोकेट जोएस जॉर्ज

38. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा

*39. श्री पन्नीरसेलवम

*40. श्री पी॰ पी॰ चौधरी

41. श्री हरीशचन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी

*42. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*43. श्री जारीक हमीद कर्रा

*44. श्री राम टहल चौधरी

*45. श्रीमती रमा देवी

46. श्री प्रहलाद सिंह पटेल

*47. श्री जुगल किशोर शर्मा

*48. श्री सी॰आर॰ चौधरी

49. श्री राम कुमार शर्मा

50. श्री बृजभूषण शरण सिंह

*51. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

*52. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे

*53. श्री पी॰ करुणाकरन

54. श्री दुष्यंत चौटाला

*55. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

56. कर्नल राज्यवर्धन राठौर

*57. श्री एम॰ बी॰ राजेश

58. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*59. डॉ॰ के॰ गोपाल

60. श्री हरिबाबू कंभमपति

61. श्री विजय कुमार हांसदाक

*62. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी

*63. श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथन

64. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी

*65. श्रीमती अंजू बाला

*66. श्री एंटो एन्टोनी

*67. डॉ॰ ए॰ सम्पत

*68. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू

*69. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

*70. श्री सी॰ महेंद्रन

71. श्री मोहम्मद असरारुल हक

72. श्री डी॰ एस॰ राठौड़

*73. श्रीमती रेणुका बुत्ता

*74. श्री नाराणभाई भिखाभाई काछड़िया

*75. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

76. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते

*77. श्री प्रहलाद जोशी

78. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*79. श्री थोटा नरसिम्हम

*80. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर

81. श्री चंदूलाल साहू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*82. श्री राहुल कस्वां

83. श्री असादुद्दीन ओवैसी

84. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

85. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*86. श्री वीरेन्द्र कश्यप

87. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी

88. श्री जोस के॰ मणि

89. श्रीमती कमला देवी पाटले

90. डॉ॰ अंबुमनी रामादोस

91. श्रीमती कृष्णा राज

92. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

93. श्री पी॰आर॰ सुन्दरम

94. श्री अजय मिश्रा टेनी

95. श्री तथागत सत्पथी

*96. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

97. श्री लक्ष्मी नारायण यादव

98. कुमारी सुष्मिता देव

99. डॉ॰ महेश शर्मा

*100. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

101. श्री राहुल रमेश शेवाले

102. श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी

103. डॉ॰ मनोज राजोरिया

*104. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

105. श्री बलका सुमन

*106. डॉ॰ के॰ कामराज

107. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

108. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर

109. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

110. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

*111. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

112. श्री गोपाल शेट्टी

*113. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*114. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

115. श्रीमती रंजीत रंजन

*116. श्री अरविंद सावंत

117. श्री शैलेन्द्र बुलो मंडल

118. श्री विद्युत वरण महतो

119. श्री भगवंत मान

120. श्रीमती पूनमबेन माडम

चर्चा पूरी नही हुई।

#रात्रि 9.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 18 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#रात्रि 8.39 बजे से रात्रि 9.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक सभा महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1384LS(S-3)—17-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 16

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1215—1444 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2014 जो 24 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2014-2015 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2013 जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2013 जो 7 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्रधातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(12) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) देना बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) केनरा बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पंद्रह) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) आंध्र बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) पंजाब और सिंध बैंक के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(14) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 मई, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचआरडी/पीईएन/01 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में रोजगार स्वीकार करना) संशोधन विनियम, 2013 जो 6 जून, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचआरडी/आईआरपी/2013- 2014/792 में प्रकाशित हुए थे।

(15) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(16) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और भत्ते (संशोधन) नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 131(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण की प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2014 जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 141(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/27/6721 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/44/226 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) पंजीकरण अभिकरण] (संशोधन) विनियम, 2014 जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/46/522 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2014-15/01/1039 में प्रकाशित हुए थे।

(18) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 834(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए 'ऐस डेरीवेटिव्स एंड कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड' अहमदाबाद को मान्यता प्राप्त संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 835(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 878(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 997(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1297(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 27 के अंतर्गत संपत्ति कर (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2014 जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 426(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2014 का संख्यांक 4) अनुपालन लेखापरीक्षा)—वायु सेना और नौसना।

(दो) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 3) अनुपालन लेखापरीक्षा।

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 15) (अनुपालन लेखापरीक्षा)—छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई, नागर विमानन मंत्रालय पर सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना का क्रियान्वयन।

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2014 का संख्यांक 9)—शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) योजना, राजस्व विभाग।

(पांच) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 7)—फर्मों के आकलन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रत्यक्ष कर, राजस्व विभाग।

(छह) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 10)—प्रत्यक्ष कर, राजस्व विभाग।

(सात) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 5)—प्रतिवलित आस्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) (वित्तीय सेवाएं विभाग) वित्त मंत्रालय।

(आठ) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 14—केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल) विपणन कंपनियों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

(नौ) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)—अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग।

(दस) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)—(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग।

(ग्यारह) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 11) (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)—भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस 1.5), राजस्व विभाग।

(22) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 295(अ) जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 360(अ) जो 6 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 403(अ) जो 14 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 496(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 598(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 694 (अ) जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 779(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 862(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 980(अ) जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1031(अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1090(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 1105(अ) जो 17 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 1184(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 1189(अ) जो 1 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1292(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 1291(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अपराह्न 12.02 बजे

4. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 21 जुलाई, 2014 से आरंभ हाने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

5. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्षवर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए

गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और नियम 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.13 बजे

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बजट—2014-15

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 1.14 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.15 बजे

10. (एक) बजट (सामान्य)—2014-2015

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2011-2012

लिया गया समय: 15 घण्टे 13 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं।

(एक) बजट (सामान्य)—2014-2015 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (सामान्य)—2011-2012 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21, 24, 31 और 100

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री दद्दन मिश्रा
2. श्रीमती संतोष अहलावत
3. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
4. श्री योगी आदित्यनाथ
5. श्री अक्षय यादव
6. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
7. श्री देवजी एम॰ पटेल
8. श्रीमती ज्योति धुर्वे
9. श्री रामसिंह राठवा
10. श्री राम कृपाल यादव
11. श्री सुनील कुमार सिंह
12. श्री पशुपति नाथ सिंह
13. श्री शिवकुमार उदासि
14. श्री राजकुमार सैनी

15. श्री हंसराज गंगाराम अहीर

16. श्री लडू किशोर स्वाइँ

17. कुमारी शोभा कारान्दलाजे

18. श्री रामचन्द्र हांसदा

19. श्री चांद नाथ

20. श्री सी॰ गोपालकृष्णन

21. डॉ॰ यशवंत सिंह

22. श्री पी॰ नागराजन

23. डॉ॰ रामशंकर कठेरिया

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 13, 21, 24, 31 और 100 के लिए वर्ष 2011-12 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 3.20 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित
विनियोग (संख्यांक 2) विधयेक, 2014

12. सरकारी विधेयक—पारित
विनियोग (संख्यांक 2) विधयेक, 2014

श्री अरुण जेटली द्वारा पेश विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.24 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापस लिया गया

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 11 जुलाई, 2014 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

> ''हिमालयी राज्यों की रणनीतिक, भौगोलिक स्थिति तथा अवस्थान, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भू-स्खलन, बादल फटने, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं जिनके कारण जान और माल का भारी नुकसान होता है, पर विचार करते हुए तथा इन राज्यों, विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एक स्वतंत्र केन्द्रीय मंत्रालय गठित करने का आग्रह करती है, जो इन राज्यों के समग्र और त्वरित विकास के लिए उत्तरदायी होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा—
>
> (एक) हिमालयी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा उनका समग्र विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना;
>
> (दो) पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना;
>
> (तीन) विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना; और
>
> (चार) नई रेलवे लाइनें बिछाने, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने, सड़कों का निर्माण करने और अन्य अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाएं आरंभ करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुशंसा करना तथा प्रवास को रोकने के लिए हिमालयी राज्यों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भर्तृहरि महताब (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री अधीर रंजन चौधरी
4. श्री प्रहलाद सिंह पटेल

5. श्री बी॰ विनोद कुमार
6. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
7. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
8. श्री विनसेंट एच॰ पाला
9. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
10. श्री रमेश बिधूड़ी
11. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
12. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
13. श्री अश्विनी कुमार चौबे

डॉ॰ जितेद्र सिंह ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वाद-विवाद कर उत्तर दिया।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 5.59 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री राजू शेट्टी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह कृषि क्षेत्र में संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।"

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 21 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

दिनांक 15.07.2014 के समाचार भाग – 1 संख्या 13 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति/क्रमांक	के स्थान पर	पढ़ा जाए
11	6/22	श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव	श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी
15	4/121	डॉ॰ रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री रवीन्द्र कुमार राय

दिनांक 17.07.2014 के समाचार भाग – 1 संख्या 15 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति/क्रमांक	के स्थान पर	पढ़ा जाए
13	13/117	श्री शैलेन्द्र बुलो मंडल	श्री शैलेश (बूलो मंडल) कुमार

GMGIPMRND—1457LS(S-3)—18-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 जुलाई, 2014/30 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 17

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—186 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 187—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1445—1652 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2014-15 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एमटीएनएल तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) नेशनल जूडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निर्वाचक निरर्हता के बारे में भारतीय विधि आयोग के फरवरी, 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 244 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2014 जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 328(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एमईसीओएन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा०का०नि० 352(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) साल्वेंट, रेफिनिट और स्लोप (अर्जन, विक्रय भंडारण और ऑटो मोबाइलों में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा०का०नि० 353(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(11) पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2014-2015 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एन्ड्रयू यूल ग्रुप तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हिंन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छः) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

#(14) वर्ष 2014-2015 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*अपराह्न 12.20 बजे

4. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

#अपराह्न 2.02 बजे।

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज द्वारा उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूचड़खाने बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गणेश सिंह द्वारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिन किसानों के खेतों का उपयोग हाई टेंशन टॉवर लगाने के लिए किया गया है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के बारे में संसद सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराने और उनकी राय जानने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा इसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रवनीत सिंह द्वारा पानीपत और जालंधर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के निर्माण में तेजी लाए जाने तथा इसके पूरा होने तक इस राजमार्ग पर टोल टैक्स संग्रहण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती मौसम नूर द्वारा झारखंड में चार्स (नदी द्वीपसमूह) का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में गोपालपुर और धामरा पत्तनों पर यात्रियों द्वारा

जहाज पर सवार होने और उतरने के लिए उन पत्तनों को आव्रजन केन्द्रों के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोनार क्रेटर में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन के लिए नए फार्मेट की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री संतोष कुमार द्वारा पूर्णिया से इस्लामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की मरम्मत किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जोस के॰ मणि द्वारा देश में रबड़ की खेती संबंधी अध्ययन और उत्पाद विकास अनुसंधान हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.21 बजे

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.21 बजे

6. नियम 331 छ के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान पर इसके अनुप्रयोग में लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को निलंबित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, हालांकि, अनुदानों की मांगों को संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समितियों को सौंपे जाने के बिना पारित करने के लिए सभा को समर्थ बनाने हेतु प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को निलंबित कर दिया गया है, तथापि, ये मांगें स्थायी समितियों के गठन के पश्चात् जांच और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उक्त समितियों को सौंपी गईं मानी जाएंगी ताकि समितियां उपयुक्त सिफारिशें कर सके जिनका प्रयोग आगामी वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों को तैयार करने के लिए किया जा सकेगा।''

8. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''सभा में उपस्थित माननीय सदस्य गण जिनके जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उनके कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं। जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव करना चाहते हैं, तो सभा पटल पर तुरंत इस संबंध में सूचना दें।

पेश किया हुआ माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि सदस्यगण इस सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया उसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

अपराह्न 12.29 बजे

9. बजट (सामान्य)-2014-15 अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 4 घण्टे 42 मिनट

जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांग संख्या 106 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव ने एक मुद्दा उठाया कि चूंकि जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य पत्र सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं, अत: चर्चा के लिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को न लिया जाए।

उस पर, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''यद्यपि, वार्षिक प्रतिवेदन, परिणामी बजट या मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों, जैसे दस्तावेजों के अभाव के करण किसी विशेष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा को रोकने वाला कोई नियम नहीं है, फिर भी, मेरा मत यह है कि इन दस्तावेजों को सदस्यों को पहले ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। मुझे पता है कि बजट में क्या किया गया है। यह बात पूर्व में भी घटित हुई है। यद्यपि आज आपको ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में मंत्रालयों, जिनकी मांगों पर सभा में चर्चा की जानी है, की विस्तृत मांगों, परिणामी बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को पर्याप्त समय रहते पहले ही सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। भविष्य के लिए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस समय, मुझे मालूम है कि इस प्रक्रिया का पालन किया गया है। हाल ही में इस सरकार का गठन हुआ है। अत: मैं यह चाहती हूं कि भविष्य में सरकार सभी प्रक्रिया का पालन करेगी।''

3 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1, 2 और 7) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई

#2. श्रीमती विजया चक्रवर्ती

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

*3. श्री आर॰के॰ भारती मोहन

4. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे

5. श्री तथागत सत्पथी

6. श्री अरविंद सावंत

#उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

7. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा

*8. सुश्री अंजू बाला

*9. श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*10. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

*11. श्री देवुसिंह चौहान

12. श्री कडियम श्रीहरि

*13. श्री अधीर रंजन चौधरी

*14. श्रीमती रमा देवी

15. श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान

16. श्रीमती कोथापल्ली गीता

17. श्रीमती सुप्रिया सुले

*18. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

19. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*20. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*21. श्रीमती संतोष अहलावत

22. श्री नित्यानन्द राय

*23. श्री शिवकुमार उदासि

*24. श्री तारिक अनवर

25. श्री अक्षय यादव

*26. श्री पी॰आर॰ सुन्दरम

*27. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

28. श्री रामा किशोर सिंह

29. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

30. श्री शैलेश कुमार *उर्फ* बुलो मंडल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

31. श्री भारतेन्द्र सिंह
32. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा
*33. श्री दद्दन मिश्रा
*34. कुमारी सुष्मिता देव
*35. श्री अजय मिश्रा टेनी
*36. श्री हरिनरायन राजभर
*37. साध्वी निरंजन ज्योति
38. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
*39. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
*40. श्री राम चरित्र निषाद
41. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
*42. श्री राम कृपाल यादव
43. श्री कौशलेन्द्र कुमार
*44. श्रीमती रक्षाताई खाडसे
45. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
*46. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
*47. श्रीमती ज्योति धुर्वे
48. डॉ॰ के॰ गोपाल
*49. श्री राजेश वर्मा
50. श्री वीरेन्द्र सिंह
*51. श्री गणेश सिंह
52. श्री अभिजित मुखर्जी
*53. श्री जुगल किशोर शर्मा
*54. श्री रामचरण बोहरा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*55. श्री सी॰आर॰ चौधरी

56. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*57. कुमारी शोभा करान्दलाजे

58. श्री रमेश बिधूड़ी

*59. श्री हंसराज गंगाराम अहीर

*60. श्री सुनील कुमार सिंह

*61. श्री जगदम्बिका पाल

*62. श्रीमती कृष्णा राज

*63. श्री शरद त्रिपाठी

*64. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी

सुश्री उमा भारती ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ तथा उन्हें अस्वीकृत किया गया।

जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 106 (राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

@सायं 6.44 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@सायं 6.11 बजे से सायं 6.44 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1497LS(S-3)—21-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 जुलाई, 2014/31 आषाढ़, 1936 (शक)

संख्या 18

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—205 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 206—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1653—1882 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड I)।

(दो) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड II)।

(तीन) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-15 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(5) (एक) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए पर्यटन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2014-15 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टेसाइड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) वर्ष 2014-15 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 25 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 410(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014, जो 22 अप्रैल, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 13/3/2003/एचपी-आई/स्था॰/228-230 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (प्रोन्नति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2014, जो 30 जनवरी, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 16/8/2013/एचपी-आई/स्था॰/5238 से 5240 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014, जो 30 जनवरी, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 16/4/2013/एचपी-आई/स्था॰/5234 से 5237 में प्रकाशित हुए थे।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(13) पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰आ॰ 995(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'मत्स्य, मोलस्क, क्रस्टेसियन और उभयचर' को पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के खंड (क) के अंतर्गत परिभाषित 'पशु' की परिभाषा के अंतर्गत जलीय पशु विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 996(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की अनुसूची में संशोधन किया गया है।

(14) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1108(अ) जो 21 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसूची चार में स्तम्भ 3 के अंतर्गत, क्रमांक 17 के सामने कतिपय संशोधन किए गए हैं, अर्थात् '1.51' के स्थान पर प्रविष्टि '1.58', प्रतिस्थापित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) *स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने डॉक्टर-रोगविज्ञान प्रयोगशाला/नैदानिक केन्द्रों की सांठ-गांठ से रोगी/उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी जिसका 21 जुलाई, 2014 को न्यूज नेशन टी॰वी॰ चैनल द्वारा प्रसारित ''ऑपरेशन जोन्क'' नामक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा हुआ था, के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

(3) #गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 21 जुलाई, 2014 को दिल्ली में हुई मणिपुर निवासी श्री अखा सलौनी की मृत्यु की घटना के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के नाम से जाना जाएगा, गठित की जाए जिसमें तीस सदस्य होंगे, बीस सदस्य लोक सभा से तथा दस राज्य सभा से, जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात् मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसका सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा दोनों सभाओं को ऐसे उपायों की सूचना देना जो संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर विषयों के संबंध में संघ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

---

*अपराह्न 4.07 बजे।

#अपराह्न 4.14 बजे।

(तीन) संघ सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सरकारी उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) पर अन्य पिछड़ा वर्गों, विशेषकर अति पिछड़ा वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण पर दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(पांच) संघ राज्यक्षेत्रों में प्रशासनों सहित संघ सरकार के दायरे में आने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर व्यापकता से विचार करना तथा दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना; और

(छह) ऐसे विषयों की जांच करना जो समिति उचित समझे या उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपे जाएं।

(3) समिति के सदस्य, समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, जो एक समय में उपर्युक्त पैरा (1) में बताई गई पद्धति के अनुसार तत्पश्चात् एक वर्ष के लिए पुनः गठित की जाएगी;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और आंशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसे अध्यक्ष बनाए; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. नारियल विकास बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राधा मोहन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 (1) (एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम

के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राधा मोहन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद नियमों के नियम 8 (क) के साथ पठित नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

8. प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 21 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि क्रम संख्या 1(एक) की मद से संबंधित सिफारिश, जिसका सभा द्वारा पहले ही निपटान किया जा चुका है, का लोप किया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

@अपराह्न 12.06 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

मद्रास उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति को स्थायी किए जाने में बरती गई कथित अनियमितता के बारे में।

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति को स्थायी किए जाने में बरती गई कथित अनियमितता के बारे में निवेदन किया।

@अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.21 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.21 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.30 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 12.30 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004 के पश्चात् अफीम की खेती के लिए रद्द किए गए पट्टों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा कृषि बीमा योजना में आवश्यक बदलाव किए जाने और सभी राज्यों में इसका समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा बांदा और चित्रकूट क्षेत्र में अवैध खनन और जबरन धन वसूली रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा दामोदर नदी को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त रखे जाने में दामोदर घाटी निगम और विभिन्न कोयला कम्पनियों की भागीदारी की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने हेतु उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान में ईंट भट्टा उद्योग के लिए पर्यावरणीय संस्वीकृति संबंधी मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम कृपाल यादव द्वारा दानापुर उपमंडल के अंतर्गत तौफिर-मंगरपाल-हथियाकांध सराय सड़क से सेना का नियंत्रण हटाने और इसे आम जनता के लिए खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा तेलंगाना में एम्स जैसे संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के तहत भिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थियों के लिए फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ नागराजन द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पल्लाडाम होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के साथ-साथ इरुगुर पिरिरु से पोंगालुर तक लीक होने वाले ए॰सी॰ पाईप को नए हाई डाइमेंशन वाले एम॰एस॰ पाईप से बदलने हेतु एनएचएआई से अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का हिस्सा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित रेल वैगन फैक्टरी की चालू वित्तीय वर्ष में स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वलाथुकारा नहर को चालू करने और राज्य में मूलाथारा-वलाथुकारा नहर को कोर्यार से वेलांथवलम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा बिजली गिरने की घटना और तटीय मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में विशेषकर कोल्लम में पासपोर्ट कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं सहित पासपोर्ट बुकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

11. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं।

पेश किया हुआ माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि सदस्यगण इस सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया उसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

अपराह्न 2.03 बजे

12. बजट (सामान्य)—2014-2015—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 4 घण्टे 23 मिनट

पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांग संख्या 31 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

5 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 3, 7 और 8) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. डॉ॰ संजय जायसवाल
3. श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री पिनाकी मिश्रा

6. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव

*7. श्री राहुल रमेश शेवाले

* 8. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

*9. श्री थांगसो बाइटे

*10. श्री वी॰ एलुमलाई

*11. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल

*12. श्री गौरव गोगोई

*13. श्री राजीव सातव

*14. श्री आर॰ पार्थिपन

*15. श्री शरद त्रिपाठी

*16. श्री शिवकुमार उदासि

*17. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू

18. श्री मुरली मोहन मगन्ती

*19. श्रीमती अन्जू बाला

20. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

*21. श्री थोटा नरसिम्हम

*22. श्री आलोक संजर

23. एडवोकेट जोएस जॉर्ज

*24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*25. श्री के॰ अशोक कुमार

26. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

27. श्रीमती सुप्रिया सुले

*28. श्री पी॰ पी॰ चौधरी

*29. श्री जोस के॰ मणि

30. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*31. श्री बृजभूषण शरण सिंह
32. श्री हंसराज गंगाराम अहीर
*33. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
*34. श्री सत्यपाल सिंह
*35. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे
*36. श्री जुगल किशोर
*37. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
*38. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
*39. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
*40. श्रीमती ज्योति धुर्वे
41. श्री धमेन्द्र यादव
*42. श्री सुनील कुमार सिंह
*43. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
44. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
*45. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
46. श्री धर्म वीर गाँधी
47. श्री दुष्यन्त चौटाला
48. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
*49. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
*50. श्री अरविन्द सावंत
51. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
*52. श्री राहुल कस्वां
*53. श्री भर्तृहरि महताब
*54. श्रीमती आर॰ वनरोजा
*55. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*56. श्री अजय मिश्रा टेनी

57. श्री अश्विनी कुमार चौबे

58. श्री कौशलेन्द्र कुमार

59. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा

*60. श्री जितेन्द्र चौधरी

*61. श्री दद्दन मिश्रा

62. श्री विजय कुमार हासंदाक

*63. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*64. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी

65. श्री प्रेम दास राई

*66. श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया

*67. साध्वी निरंजन ज्योति

68. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन

*69. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*70. श्री रमेश बिधूड़ी

*71. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'

*72. श्री कमल भान सिंह मराबी

*73. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

*74. श्रीमती संतोष अहलावत

*75. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

*76. श्री ओम बिरला

*77. श्री गजानन कीर्तिकर

*78. अशोक महादेवराव नेते

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ तथा उन्हें अस्वीकृत किया गया।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँग संख्या 31 (राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा दोनों) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वकृति हुई।

@ सायं 7.34 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 23 *जुलाई,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

दिनांक 17.07.2014 के समाचार—भाग 1 संख्या 15 का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं॰ 13 पर, क्रम संख्या 120 श्रीमती पूनमबेन माडम **के पश्चात्,** क्रम सं॰ 121 *डॉ॰ थोकचोम मेन्या 122*श्री जगदम्बिका पाल 123*श्री एम॰ मुरली मोहन 124*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे **जोड़ा जाए।**

दिनांक 18.07.2014 के समाचार—भाग 1 संख्या 16 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं॰ 15 पर, क्रम संख्या 23*डॉ रामशंकर कठेरिया **के पश्चात्,** क्रम संख्या 24*श्री के॰ परसुरमन **जोड़ा जाए।**

@ सायं 6.29 बजे से सायं 7.34 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1647LS—22-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 जुलाई, 2014/1 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 19

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—225 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 226—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1883—2112 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए विदेश मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) झारखंड महिला सामाख्या सोसायटी, रांची के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड महिला सामाख्या सोसायटी, रांची के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) महाराष्ट्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुम्बई के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुम्बई के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर (सर्व शिक्षा अभियान), इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर (सर्व शिक्षा अभियान), इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) बिहार महिला सामाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला सामाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1477(अ) जो 6 जून, 2014 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा समुदायों अर्थात् मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध जोरोस्ट्रियन्स (पारसी) और जैन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महोलखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए योजना मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(63) वर्ष 2014-15 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) दूरदर्शन समाचार संवाददाता भर्ती नियम, 2014 जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 208(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिक्ष विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन, नियम, 2014 जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 149(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(74) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) (संशोधन) नियम, 2014 जो

14 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 408(अ) में प्रकाशित हुए थे , की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) वर्ष 2014-2015 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्री ने श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा 'एनयूएलएम के कार्यन्वयन' के बारे में 16 जुलाई, 2014 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 949 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (अंग्रेजी संस्करण) दिया।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) @विदेश मंत्री ने 'माननीय प्रधानमंत्री की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यात्रा' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.03 बजे

5. **अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने सोमवार, 28 जुलाई, 2014 के लिए निर्धारित सभा की बैठक रद्द किए जाने का अनुरोध किया था।

@अपराह्न 1.00 बजे।

#अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.17 बजे तक तथा अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

यदि सभा सहमत होती है, तो सोमवार 28 जुलाई, 2014 के लिए निर्धारित सभा की बैठक रद्द की जा सकती है।

मैं आशा करती हूं कि सभा इससे सहमत है।''

सभा सहमत हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

#(लोक सभा अपराह्न 1.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.10 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री छोटेलाल द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राम टहल चौधरी द्वारा रांची और बरहागढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच करने और एक वर्ष के अन्दर उसे चार लेन की सड़क बनाने का कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रमा देवी द्वारा सिकराहना बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों तथा बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिलों में बूढ़ी गंडक नदी के अन्य तटबंधों को ऊंचा और मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा अफीम की परम्परागत खेती जारी रखने और मांग के अनुसार मॉर्फिन और पोस्त दाने के लिए नए लाइसेंस प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर-बहराइच के बीच नई रेललाइन बिछाए जाने हेतु निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 1.00 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक, विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

(6) श्रीमती कमला पाटले द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चाम्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तर्ज पर एक नई प्रधानमंत्री ग्राम पुल योजना बनाकर उसके तहत नए पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा 1994 के यमुना नदी जल समझौते के तहत राजस्थान के भरतपुर जिले को आवंटित जल पूरी मात्रा में जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विजय सांपला द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुकेरिया और दसुआ में विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन–गरोटा भोगनिपुर में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निनोंग इरिंग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध नस्ल भेद रोकने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) मोहम्मद असरारुल हक द्वारा बिहार के किशनगंज जिले में रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टजी द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरीन हवाई अड्डे पर नाईट लैंडिंग सुविधाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुल्तान अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के श्यामपुर में मगनरेगा के तहत कार्य करते हुए बिजली गिरने से मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती शताब्दी राय द्वारा पश्चिम बंगाल और झारखंड में मसनजोर बांध परियोजना को पुन: आरंभ करने और राज्य में बीरभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों को साफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा कल्याण रेलवे स्टेशन पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक अत्याधुनिक टर्मिनल के रूप में उसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी द्वारा तेलंगाना के खम्माम में इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स का कैम्पस स्थापित करने संबंधी अनुमोदन शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.11 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं।

पेश किया हुआ माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि सदस्यगण इस सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया उसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

अपराह्न 2.12 बजे

8. बजट (सामान्य) 2014-15—अनुदानों की मांगें

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांग संख्या 83 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

16 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 3, 20 से 22, 23 और 24, 25 से 31 और 32) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विनसेंट एच॰ पाला
2. श्री आर॰के॰ सिंह
3. श्री जी॰ हरि

4. श्री सुल्तान अहमद

5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

7. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

*8. श्री आर॰ पार्थिपन

*9. श्रीमती अंजू बाला

*10. श्री अधीर रंजन चौधरी

*11. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन

*12. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

13. श्री बी॰ विनोद कुमार

*14. श्रीमती (डॉ॰) हिना विजयकुमार गावीत

*15. श्री पी॰पी॰ चौधरी

*16. श्री अजय मिश्रा टेनी

*17. श्री भगवंत खुबा

*18. श्रीमती रमा देवी

*19. श्री मुरली मोहन मंगती

*20. श्री गणेश सिंह

*21. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

22. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

*23. श्री पी॰ कुमार

*24. श्री एम॰ उदयकुमार

25. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*26. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*27. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*28. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*29. श्री शिवकुमार उदासि

*30. श्री के॰ परसुरमन

31. श्री धनंजय महाडीक

32. साध्वी सावित्री बाई फूले

*33. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

34. श्री बृजभूषण शरण सिंह

*35. श्री सी॰ महेन्द्रन

*36. डॉ॰ किरीट सोमैया

*37. श्रीमती पूनमबेन माडम

*38. श्री के॰ अशोक कुमार

*39. साध्वी निरंजन ज्योति

*40. श्री जोस के॰ मणि

*41. श्री राहुल कस्वां

*42. श्री कौशल किशोर

43. श्री धर्मेन्द्र यादव

*44. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

*45. श्री तारिक अनवर

*46. श्री नलीन कुमार कटील

47. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*48. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

*49. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी

50. श्री निनोंग इरिग

*51. प्रो॰ चिन्तामन नावाशा वांगा

*52. श्री देवेन्द्र (*उर्फ*) भोले सिंह

*53. श्री शरद त्रिपाठी

*54. श्री हरिभाई चौधरी

*55. श्रीमती विजया चक्रवर्ती

*56. श्री भर्तृहरि महताब

*57. डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*58. श्रीमती संतोष अहलावत

*59. श्री गजानन कीर्तिकर

60. श्री शेर सिंह गुबाया

*61. श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल

62. श्री राधेश्याम बिश्वास

*63. श्री पी॰ करूणाकरन

*64. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

*65. श्रीमती कृष्णा राज

*66. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*67. श्री पी॰ सी॰ मोहन

*68. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

*69. श्री हरि ओम पाण्डेय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

70. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

*71. श्री लल्लू सिंह

*72. श्री पी॰ डी॰ राय

*73. श्री नारणभाई काछड़िया

74. डॉ॰ धर्मवीर गांधी

*75. श्री हंसराज गंगाराम अहीर

76. श्री संतोष कुमार

*77. श्री रमेन डेका

*78. श्री राकेश सिंह

*79. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

*80. श्री दद्दन मिश्रा

*81. श्री रवीन्द्र कुमार राय

*82. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*83. श्री सुनील कुमार सिंह

*84. कुमारी सुष्मिता देव

*85. श्री डी॰ के॰ सुरेश

*86. श्री हरिनरायन राजभर

*87. श्री अशोक महादेवराव नेते

*88. डॉ॰ ए॰ सम्पत्त

*89. श्री सी॰ आर॰ चौधरी

*90. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*91. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*92. श्री देवजी एम॰ पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*93. श्री जगदम्बिका पाल

*94. श्री जुगल किशोर शर्मा

*95. श्री राजवीर सिंह

*96. श्री कंवर सिंह तंवर

*97. डॉ॰ स्वामी साक्षी जी महाराज

श्री नितिन गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। पेश किए गए कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ तथा उन्हें अस्वीकृत किया गया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँग संख्या 83 (राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा दोनों) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की माँगों-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 5.09 बजे

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2014-15 की अनुदानों की माँग संख्या 90 और 91 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की माँगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं।''

2 कटौती प्रस्ताव (संख्या 5 और 6) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संतोख सिंह चौधरी

*2. श्री रामचरण बोहरा

*3. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

4. श्री उदित राज

*5. श्री बहादुर सिंह कोली

6. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना (नाग) डे

*7. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण

8. श्री बी॰ एलुमलाई

*9. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*10. श्री जैदेव गल्ला

11. श्री लडू किशोर स्वाईं

*12. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

*13. साध्वी निरंजन ज्योति

*14. श्री कौशल किशोर

15. श्री ए॰ एस॰ आर॰ नायक

*16. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*17. श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा

*18. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

*19. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*20. श्री टी॰ जी॰ वेंकेटेश बाबू

*21. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*22. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*23. श्री प्रेम दास राई

*24. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

*25. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*26. साध्वी सावित्री बाई फूले

*27. श्री ओम बिरला

*28. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

*29. श्री एम॰ श्रीनिवास राव

*30. डॉ॰ ए॰ सम्पत

श्री थावरचन्द गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सायं 6.03 बजे

अध्यक्ष ने घोषणा की कि समय की कमी के कारण अनुदानों की बकाया मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों, जिन्हें परिचालित किया गया है, को पेश किया हुआ माना जाएगा। सभी कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ और उन्हें अस्वीकृत किया गया।

(तीन) वर्ष 2014-15 के बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशि के लिए निम्नलिखित बकाया अनुदानों की मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गईं और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं:—

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 और 17

(9) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27

(12) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(13) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(14) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(15) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32

(16) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 33, 34, 36, 37 और 39 से 45

(17) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46

(18) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50

(19) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 और 52

(20) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 53 से 57 और 98 से 102

(21) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58

(22) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 और 60

(23) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(24) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(25) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64

(26) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(27) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(28) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(29) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(30) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(31) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(32) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(33) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(34) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75

(35) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76

(36) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77

(37) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 79

(38) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 80

(39) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 82

(40) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84 और 85

(41) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86 से 88

(42) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89

(43) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90 और 91

(44) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 92

(45) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(46) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(47) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95

(48) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96

(49) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97

(50) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103 से 105

(51) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 107

(52) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 108

सायं 6.10 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2014

10. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2014

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

@सांय 7.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार 24 *जुलाई,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

@सायं 6.13 बजे से सायं 7.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1690LS(S-3)—23-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 24 जुलाई, 2014/2 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 20

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—246 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 247—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2113—2342 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, आनंद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, आनंद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 जो 5 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(6) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(9) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनएचपीसी लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारतीय सौर ऊर्जा निगम तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए पंचायती राज मंत्रालय का परिणामी बजट।

(13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1461(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम-एडापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2855(अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोझीकोड खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 3505(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मनुथी–अलुवा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3799(अ) जो 24 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोझीकोड खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2139(अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (चिलकौरीपेट–विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 133(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद–यादगिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3748(अ) जो 20 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडाप्पा–कुरनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3717(अ) जो 18 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलकौरीपेट–विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 3507(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

(गुंडूगोलनू-विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 3638(अ) जो 11 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 नवंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1836(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1289(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडूगोलनू-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1971(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडाप्पा-कुरनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 229(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (कोलकाता-चेन्नई कोरीडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2767(अ) जो 12 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडूगोलनू-विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2429(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 219 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1814(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2556(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (त्रिवेन्द्रम-कृष्णागिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2538(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड)(बाई-पास सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1335(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडिगुल-थेनी और कुमुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1431(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरूचिरापल्ली-कराईकुडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2955(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुमनाकोनम-तंजावुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाइस) का॰आ॰ 564(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (कंगेयमपलायम-मेट्डपलायम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेइस) का॰आ॰ 2091(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडरपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2489(अ) जो 13 अक्तबूर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुबाकोनम-तंजावुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1362(अ) जो 24 मई 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुबाकोनम-तंजावुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 15 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2014 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 15 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2014 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(एक) रेल मंत्रालय से संबंधित 'पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख रेल दुर्घटनाएं—कारण और उपचारात्मक उपाय' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए चालू और लंबित रेल परियोजनाएं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 194वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

#(4) रेल मंत्री ने 24.07.2014 को दक्षिण मध्य रेलवे के बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंग पर हुई दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

6. ध्यानाकर्षण

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने इराक में फंसे भारतीयों के कारण उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

विदेश मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विदेश मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर भी दिया।

*अपराह्न 12.42 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री हरिभाई पी॰ चौधरी द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनार, आलू, टमाटर और अरंडी आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा सूरत में रेलवे मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने और सूरत रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड में अवैध खनन रोकने के लिए विशेष केन्द्रीय दल भेजे जाने तथा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.05 बजे।

*अपराह्न 12.42 बजे से अपराह्न 12.49 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में आगरा-इलाहाबाद मार्ग पर कि०मी० 17 से कि०मी० 20 तक वाईड बैल्ट एरिया को सम्मिलित किए जाने हेतु निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हरिनरायन राजभर द्वारा भर/राजभर जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा साबरमती रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात का स्तरोन्नयन किए जाने और वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में एक मॉडल स्कूल तथा एक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों के लिए एक विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार करने तथा शाहगढ़ बुल्ज, जैसलमेर, राजस्थान में इसका निर्माण किए जाने के प्रस्तावित निर्णय को आस्थगित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री चांद नाथ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निर्माण कार्य पूर्ण होने तक आने-जाने वालों से टोल टैक्स वसूल करना बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री हरीश मीना द्वारा दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में तीन रेल उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के गांवों को लवण जल आप्लावन से सुरक्षित करने हेतु पूर्वोपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी०आर० सुन्दरम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर अट्टायमपट्टी रोड जंक्शन तथा राशिपुरम एटीसी डिपो जंक्शन, तमिलनाडु पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री टी० राधाकृष्णन द्वारा भारतीय बाजार में अवैध रूप से चीनी आतिशबाजी के आने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो० सौगत राय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना को समाप्त किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में महानदी के किनारे कटक से चोमोहनी तक

कंक्रीट के किनारे बनाए जाने तथा नदी मुख के समीप नदी के किनारों के साथ-साथ मैनग्रोव रोपण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत रेल टिकट आरक्षण पटलों की संख्या बढ़ाए जाने तथा पेयजल, पंखे, कूलरों इत्यादि की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.49 बजे

8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 5 घंटे 02 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली

(लोक सभा अपराह्न 1.11 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.15 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.15 बजे

2. श्री निशिकान्त दुबे
3. श्री एम॰ तंबिदुरै
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री बैजयंत जे॰ पांडा
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. डॉ॰ ए॰ सम्पत
9. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेडी
10. श्री हुकुम सिंह
11. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
12. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
13. श्री रवीन्द्र कुमार राय

14. श्री आनंदराव अडसुल
15. श्री चरणजीत सिंह रोड़ी
16. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
17. श्री सुरेश सी॰ अंगडी
18. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
19. श्री रत्न लाल कटारिया
20. श्री प्रेम दास राई
21. डॉ॰ रामशंकर कठेरिया
22. श्री पी॰ करूणाकरन
23. श्री राघव लखनपाल
24. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
25. श्री विनोद खन्ना
26. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
27. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
28. श्री कौशलेन्द्र कुमार
29. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
30. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.40 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 25 *जुलाई,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

*सायं 6.55 बजे से सायं 7.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

दिनांक 23.07.2014 के
समाचार भाग-I संख्या 19
का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाए
17	7	32. साध्वी सावित्री बाई फूले	*32. साध्वी सावित्री बाई फूले
17.	11	'36. डॉ॰ किरीट सोमैया	*36. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
20.	क्रम संख्या *97	डा॰ स्वामी साक्षी जी महाराज **के पश्चात् जोड़ें**	*98. श्रीमती ज्योति धुर्वे

GMGIPMRND—1726LS(S-3)—24-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 21

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2343—2572 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3914(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के सांस्थानिक निकाय का गठन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 28(अ) जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ॰ एम॰के॰ भान, पूर्व सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली को संस्थान (जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी) के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1296(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री पी॰ कन्नन, राज्य सभा सदस्य को (जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी) के सांस्थानिक निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किया जाना, नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि किया जाना (संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 03-06/2014 (सन्नियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/03/1089 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय विमोच्य अधिमान शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2013 जो 12 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/11/6063 में प्रकाशित हुए थे।

---

4. विधेयक पर अनुमति

महासचिव, ने सोलहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014 जिसके बारे में 9 जून, 2014 को सभा को भी सूचित किय गया था, सभा पटल पर रखा।

---

5. विभागों से संबद्ध स्थायी समिति—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश (31 अगस्त, 2012 से 30 अगस्त, 2013)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

---

6. संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2012 से 31 मई, 2013)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 18 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 23 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2014 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

*अपराह्न 12.01 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री; कारपोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की समालोचनात्मक समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.11 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 6 घण्टे

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित् स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 31 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 31क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 31क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 35 से 44 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 44क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 45 से 62 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 62क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62क भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 62क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62ख भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 62ग को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62ग भी स्वीकृत हुआ।

खंड 63 से 71 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा,

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 71क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 71क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 72 से 79 स्वीकृत हुए।

खंड 80, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 81 और 82 स्वीकृत हुए।

खंड 83, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 83क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 83क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 84 से 94 स्वीकृत हुए।

खंड 95, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 96 और 97 स्वीकृत हुए।

खंड 98, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 98क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 98क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 99 से 112 स्वीकृत हुए।

प्रो॰ सौगत राय द्वारा विधेयक की प्रथम अनुसूची के संबंध में पेश किए गए संशोधन संख्या 32 और 33 को मतदान के लिए रखा गया और वे अस्वीकृत हुए।

प्रथम अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी से नौवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित,पारित किया गया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

"माननीय सदस्यगण, हमारे द्वारा अभी-अभी पारित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 में आठ नए खंड और कुछ उप-खंड अंत:स्थापित किए गए हैं। अत: मैं निदेश देती हूं कि जहाँ कहीं अपेक्षित हो, पश्चात्वर्ती खंडों और उपखंडों को तद्नुसार पुन: संख्यांकित किया जाए।"

(*लोक सभा अपराह्न* 1.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.17 *बजे पुन: समवेत हुई*)

*अपराहन 3.30 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा (मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2014

---

*अपराह्न 2.17 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 *(आठवीं अनुसूची का संशोधन)।*

(3) श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा संस्कृत भाषा (संवर्धन) विधेयक, 2014

अपराह्न 3.32 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014

श्री निशिकांत दुबे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्रीमती कविता कलवकुंतला
6. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
7. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. श्री अर्जुन राम मेघवाल (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1767LS(S-3)—25-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 30 जुलाई, 2014/8 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 22

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भारतीय वायुसेना के हैलीकॉप्टर के दुर्घनाग्रस्त हो जाने पर वायुसेना के दो अधिकारियों सहित सात कार्मिकों की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 302—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2756—2985 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) 28 जुलाई, 2014 की कार्य सूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही-वृतांत्त में मुद्रित किए जाएंगे क्योंकि उस दिन सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी।

28 जुलाई, 2014 की कार्य सूची में शामिल अतारांकित प्रश्न संख्या 2573—2755 के उत्तर भी आज के कार्यवाही-वृतांत्त में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से ग्लासगो, स्कॉटलैंड में चल रहे 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए भारतीय दल को बधाई दी जिसने अभी तक 35 पदक जीते हैं जिनमें 10 स्वर्ण, 15 रजत और 10 कांस्य पदक हैं।

उन्होंने संजीता खुमुकचान, सुखेन डे और सतीश शिवलिंगम को भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए; अभिनव बिन्द्रा, अपूर्वी चन्देला, जीतू राय, और राही सर्नोबत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए और अमित कुमार, विनेश फोगत और सुशील कुमार को कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने उन अन्य खिलाड़ियों को भी बधाई दी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत और कांस्य पदक जीते हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 जो 7 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केरल सर्व शिक्षा अभियान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल सर्व शिक्षा अभियान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कवरत्ती के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कवरत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

बारहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 48	दूसरा सत्र, 1998

तेरहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 54	तीसरा सत्र, 2000
3.	विवरण संख्या 45	चौथा सत्र, 2000
4.	विवरण संख्या 32	पाँचवां सत्र, 2000
5.	विवरण संख्या 49	सातवां सत्र, 2001
6.	विवरण संख्या 39	नौवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या 28	दूसरा सत्र, 2004
8.	विवरण संख्या 30	तीसरा सत्र, 2004
9.	विवरण संख्या 30	चौथा सत्र, 2005
10.	विवरण संख्या 29	छठा सत्र, 2005

11.	विवरण संख्या 25	दसवां सत्र, 2007
12.	विवरण संख्या 21	ग्यारहवां सत्र, 2007
13.	विवरण संख्या 22	बारहवां सत्र, 2007
14.	विवरण संख्या 23	तेरहवां सत्र, 2008
15.	विवरण संख्या 20	चौदहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

16.	विवरण संख्या 19	दूसरा सत्र, 2009
17.	विवरण संख्या 17	तीसरा सत्र, 2009
18.	विवरण संख्या 17	चौथा सत्र, 2010
19.	विवरण संख्या 14	पांचवां सत्र, 2010
20.	विवरण संख्या 13	छठा सत्र, 2010
21.	विवरण संख्या 11	सातवां सत्र, 2011
22.	विवरण संख्या 11	आठवां सत्र, 2011
23.	विवरण संख्या 10	नौवां सत्र, 2011
24.	विवरण संख्या 9	दसवां सत्र, 2012
25.	विवरण संख्या 7	ग्यारहवां सत्र, 2012
26.	विवरण संख्या 6	बारहवां सत्र, 2012
27.	विवरण संख्या 5	तेरहवां सत्र, 2013
28.	विवरण संख्या 3	चौदहवां सत्र, 2013
29.	विवरण संख्या 1	पंद्रहवां सत्र, 2013

(50) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 325(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(51) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 1190(अ) जो 2 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 561(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(52) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(55) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 जो 16 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2014, जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 301(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2014, जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 302(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2014, जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2014, जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(57) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी—

1. श्री नरेश अग्रवाल
2. श्री नरेन्द्र बुढानिया
3. श्री माजिद मेमन
4. श्री एस॰ मुतुकरूप्पन
5. श्री रंगासायी रामाकृष्णा
6. श्री सी॰ एम॰ रमेश
7. श्री तपन कुमार सेन

(दो) कि 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए दोनों सभाओं की समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए और आगामी सत्र के दौरान शेष एक रिक्ति को भरने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित नौ सदस्यों को निर्वाचित किया—

1. श्री रामदास आठवले
2. श्री डी॰ राजा
3. डॉ॰ विजयलक्ष्मी साधौ
4. डॉ॰ अनिल कुमार साहनी
5. श्री नंद कुमार साय
6. श्री जेसुदासु सीलम
7. श्रीमती वानसुक साइम

8. श्री एस॰ थंगावेलु

9. श्री शम्भु प्रसाद बलदेवदासजी टुंडिया

(तीन) कि 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा की लोक लेखा समिति की 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्ति की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी—

1. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

2. श्री विजय गोयल

3. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया

4. श्री भुवनेश्वर कालिता

5. श्री शान्ताराम नायक

6. श्री सुखेन्दु शेखर राय

7. श्री रामचन्द्रन प्रसाद सिंह

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰के॰ सिंह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.09 बजे*

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने एक केन्द्रीय मंत्री के निवास पर बगिंग के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.27 तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.27 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मानीय सदस्यों, अभी हाल तक नियम 377 के अधीन सूचनाओं के अनुमोदित पाठ सभा पटल पर रखने की एक प्रक्रिया अपनायी जाती थी। सदस्यों को अध्यक्षपीठ द्वारा की गई घोषणा के बाद 20 मिनट के भीतर अपने पाठ सभा पटल पर रखने होते थे। इस कदम के पीछे मुख्य कारण अन्य विधायी कार्य के लिए सभा के अमूल्य समय का उपयोग करना था। तथापि सदस्यों से नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, चूंकि सभा में नए सदस्यों की संख्या काफी अधिक है, उन्हें प्रेरित करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि अब सदस्य सचिवालय द्वारा उन्हें दिए गए अनुमोदित पाठ को पढ़ सकेंगे।''

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा देश में विशेष रूप से राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए एसडीआरएफ नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भृगु धाम भिटौरा को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रमेन डेका द्वारा असम के उदलगुड़ी जिले में सड़कें और पेयजल जैसी बुनियादी अवसंरनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री ओम बिरला द्वारा नाबालिग लड़कों/लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने और एक पृथक कार्यबल गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों और अर्द्ध–चिकित्सा कर्मचारियों की तुरन्त नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में सीआरएफ के अंतर्गत मनकापुर–बभनान, भगवान स्वामी नारायण मंदिर, छपिया की ओर जाने वाले सड़क का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में उरई, जालौन मुख्य सड़क पर जीर्ण-शीर्ण पुल के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गुजरात सरकार द्वारा नेवेली-लिग्नाईट कॉर्पोरेशन को आवंटित लिग्नाईट खानों के अंतरण के संबंध में उक्त निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक के टुमकुर जिले में सूखे से प्रभावित किसानों को राज्य आपदा कार्यवाही निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत शेष राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पावर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एस॰आर॰ विजय कुमार द्वारा स्थगन अवधि के दौरान पात्र छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों को बेचे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में कल्याण-अम्बरनाथ में नेवेली में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सैन्य विमानपत्तन के प्रयोजन हेतु अधिगृहीत की गयी 1800 एकड़ भूमि को संबंधित मूल भू-स्वामियों को लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री तारिक अनवर द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम में काजू बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.50 बजे

10. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का बजट—2014-15

लिया गया समय: 3 घण्टे 03 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा ली गई:—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के बजट के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 13,

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

(लोक सभा अपराह्न 1.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.11 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.11 बजे

2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री पोन राधाकृष्णन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. डॉ॰ प्रभाष कुमार सिंह
6. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
7. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
8. श्री जितेन्द्र चौधरी
9. श्रीमती कोथापल्ली गीता
10. श्री रमेश बिधुड़ी
11. श्री निनोंग इरिंग
12. श्री महेश गिरी
13. श्री भगवंत मान
14. डॉ॰ उदित राज
15. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
16. श्री मनोज तिवारी
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए बजट के संबंध में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 13 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों

(राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

12. सरकारी विधेयक—पारित

दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.56 बजे

13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगावार ने कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 4.57 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय	:	2 घण्टे
लिया गया समय	:	33 मिनट
शेष समय	:	1 घण्टा 27 मिनट

श्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में एक चर्चा उठाई।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अपराह्न 5.30 बजे

15. आधे घण्टे की चर्चा

कुंवर भरतेन्द्र सिंह ने ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनियमितताएं'' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 243 के संबंध में 24.07.2014 को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर एक चर्चा उठाई।

श्री नितिन गडकरी ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 6.38 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 31 *जुलाई,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ श्रीधरन,
महासचिव।

---

*सायं 6.04 बजे से सायं 6.38 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1849LS—30-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 31 जुलाई, 2014/9 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 23

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 30 जुलाई, 2014 को भारी वर्षा के कारण पुणे के उत्तर में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में हुए भू-स्खलन से कई लोगों के मारे जाने, अनेक अन्य के घायल होने तथा कई लोगों के मलबे में फंसे होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. महासचिव (श्री पी॰ श्रीधरन) द्वारा पद त्याग और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री पी॰ श्रीधरन, महासचिव, लोक सभा ने 30 जुलाई, 2014 को महासचिव, लोक सभा का पद त्याग दिया है।

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि श्री पी॰ श्रीधरन द्वारा प्रदत्त सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्होंने उन्हें सभा के मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

3. महासचिव, लोक सभा की नियुक्ति

अध्यक्ष ने घोषणा की कि श्री पी॰ के॰ ग्रोवर, सचिव, लोक सभा सचिवालय को 31.07.2014 से लोक सभा और लोक सभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321—325 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2986—3215 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए विद्युत मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) का॰आ॰ 491(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतह) और कोयला द्रवीकरण के द्वारा प्राप्त सीमेंट, सिन-गैस के उत्पादन को अंतिम उपयोग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 737(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोयला खान नियम, 2012 की प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी का संशोधन किया गया है।

(तीन) कोयला खानों की प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1074(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कोयला खानों की प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी नियम, 2012 जो 2 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आरआईटीईएस लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रैथवैट एण्ड कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तेरह) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रैथवैट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रैथवैट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2014-2015 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 206(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 207(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 263(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 264(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 483(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 484(अ) जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नेर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का॰आ॰ 485(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 [हिसार-डबवाली (हरियाणा/पंजाब सीमा)] के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(आठ) का॰आ॰ 486(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 677(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 840(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 875(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(बारह) का॰आ॰ 867(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 868(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 874(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 773(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 767(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 770(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(अठारह) का॰आ॰ 863(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 764(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(बीस) का॰आ॰ 765(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 776(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 1044(अ) जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 1045(अ) जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2247(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 771(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का॰आ॰ 671(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का॰आ॰ 672(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1228(अ) को निरस्त किया गया है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 673(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाइस) का॰आ॰ 674(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1521(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 675(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का॰आ॰ 676(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का॰आ॰ 1089(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1220(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3049(अ) और 25 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3245(अ) को निरस्त किया गया है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1221(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1222(अ) और का॰आ॰ 1223(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1392(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1393(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1521(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1394(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1395(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1396(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का॰आ॰ 2199(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1703(अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 608(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का॰आ॰ 3021(अ) जो 4 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1282(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी–

कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 2941(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपासों सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 3260(अ) जो 28 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 3079(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 3116(अ) जो 17 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 2569(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 3262(अ) जो 28 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपट्टिनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2794(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों की भर्ती तथा नियोजन) संशोधन नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 33(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.01 बजे

8. प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि क्रम संख्या 1 और 2 की मदों से संबंधित सिफारिश, जिसका सभा द्वारा पहले ही निपटान किया जा चुका है, का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.02 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री धर्मेन्द्र यादव और राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को हटाए जाने के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर किए गए कथित लाठीचार्ज के बारे में निवेदन किए।

श्री एम॰बी॰ राजेश सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.43 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गौतमबुद्ध की जन्मस्थली अर्थात् पिपरहवा (कपिलवस्तु) में एक संग्रहालय और मेगा पर्यटन सर्किट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा राजस्थानी सहित 38 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स संस्थान के पुनरुद्धार हेतु पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड में धनबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश में पाथाखेडा और गांधीग्राम खदानों को चालू करने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री छेदी पासवान द्वारा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोहतासगढ़ किले और माता मुण्डेश्वरी धाम पर रज्जू मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.43 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री अलोक संजर द्वारा भोपाल से हैदाराबाद, रायपुर, बैंगलोर और कोलकाता के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में बिना तराशे हीरों के आयात और व्यापार प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए भारत डायमंड बुअर्स, मुम्बई तथा रत्न और आभूषण पार्क सूरत, गुजरात में विशेष अधिसूचित क्षेत्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विजय सांपला द्वारा पंजाब में जालंधर और फिरोजपुर छावनी परिषद् द्वारा चुंगी वसूली तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चम्पारण के मधुबन प्रखंड में गड़रिया और इब्राहिमपुर घाटों पर आर॰सी॰सी॰ के एक पुल का निर्माण जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल जलाशय से बालोद जिले में तांदुला जलाशय में पानी के भंडारण के लिए एक फीडर कैनल का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती एम॰ वसन्ती द्वारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा चेन्नई से सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और 68 पर दो लेन वाले उपमार्गों को चार लेन वाले उपमार्गों में बदलने और टोल प्लाजा द्वारों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ रत्ना (नाग) डे द्वारा पश्चिम बंगाल में विष्णुप्रिया हॉल्ट को एक सुविधा सम्पन्न रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेट्रो परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा बंगाल चने की विभिन्न किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारिए किए जाने और उसके लिए विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवले (फिलांथ्स एम्बलिका) से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना तथा आंवले का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.12 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.12 बजे

11. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 4 घंटे 30 मिनट

श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में 30 जुलाई, 2014 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रवनीत सिंह
2. श्री एम॰ चन्द्रकाशी
3. डॉ॰ तापस मंडल
4. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री थोटा नरसिम्हन
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्री पी॰वी॰ मिदून रेड्डी
10. श्री शेर सिंह गुबाया
11. श्री नन्दकुमार सिंह चौहान

*12. श्री नलीन कुमार कटील

*13. डॉ॰ कुलमणि सामल

*14. श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*15. श्री पी॰ नागराजन

16. श्री धर्मेन्द्र यादव

17. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

*18. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

19. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

*20. श्री संजय धोत्रे

21. श्री भगवंत मान

*22. श्री भर्तृहरि महताब

*23. श्री रविन्दर कुशवाहा

24. श्री हंसराज गंगाराम अहीर

*25. श्री डी॰के॰ सुरेश

*26. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

27. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

28. श्री प्रहलाद जोशी

29. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

*30. श्री गणेश सिंह

*31. श्री पी॰पी॰ चौधरी

*32. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे

33. श्री वीरेन्द्र कश्यप

34. श्रीमती बुत्ता रेणुका

*35. श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया

36. श्री भरत सिंह

37. डॉ॰ अरूण कुमार

38. श्री राहुल कस्वां

*39. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

40. श्री बदरूद्दीन अजमल
*41. श्री प्रेम सिंह चन्दूमांजरा
*42. श्रीमती प्रतिमा मंडल
43. श्री रमेन डेका
44. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
*45. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी
46. साध्वी निरंजन ज्योति
47. श्री कौशलेन्द्र कुमार
48. श्री पशुपति नाथ सिंह
*49. श्री मोहम्मद बदरूद्दुजा खान
50. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
51. श्री सुशील कुमार सिंह
*52. श्रीमती अंजू बाला
*53. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत
*54. डॉ॰ ममताज संघमिता
*55. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
56. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
*57. श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा
*58. श्रीमती रमा देवी
*59. श्री के॰ परसुरमन
60. श्री जगदम्बिका पाल
*61. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*62. श्रीमती संतोष अहलावत
*63. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
*64. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
*65. डॉ॰ रामशंकर कथेरिया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सांय 6.09 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 1 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

दिनांक 30 जुलाई, 2014 के

समाचार-भाग 1 संख्या 22

का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
13.	16-17	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

GMGIPMRND—1892LS—31-07-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 24

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के सदस्य श्री श्रीधरराव नथोबाजी जावड़े के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—345 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 346—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3216—3445 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2014 का संख्याक 13)।

(दो) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2014 का संख्याक 2) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(5) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2014 जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2014 जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2014 जो 10 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 2-15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—

(एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा

(दो) आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, कडपा

(तीन) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

(चार) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

(पांच) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(छह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

(सात) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(आठ) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड़

(नौ) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा

(दस) पुडुवई भरतियार ग्रामा बैंक, पुडुचेरी

(ग्यारह) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर

(बारह) सतलज ग्रामीण बैंक, बठिंडा

(तेरह) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ''विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन'' की निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2014 का संख्यांक 16)।

(दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 17) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)।

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 12) (राजस्व-सीमा-शुल्क विभाग)।

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 1) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

(पाँच) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (पीएसयू) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार(2014 का प्रतिवेदन संख्या 2)।

(छह) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार(वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2)।

(सात) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार(2014 का)।

(11) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुई तिमाही के लिए आईआईबीआई के इक्विटी शेयर-धारकों के प्रति आईआईबीआई के स्वैच्छिक परिसमापन (सदस्यों के स्वैच्छिक

परिसमापन के अंतर्गत) के बारे में परिसमापक के 19वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2014-2015 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) चंदेरी डेवलपमेंट सोसायटी फॉर वीवर्स, चंदेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंदेरी डेवलपमेंट सोसायटी फॉर वीवर्स, चंदेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दि न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 411(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दि न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2014 जो 3 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 610(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का॰आ॰ 1694(अ) जो 4 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3050(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(20) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 125(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1/(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1498(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2014 जो 28 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/6/89/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2013 जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एलएडब्ल्यू/एफ-207/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 432(अ) जो 4 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इस्पात और फाइबर ग्लास टेप्स और उनके कलपुर्जों तथा घटकों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 14 मई, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 418(अ) जो 25 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 423(अ) जो 30 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 50/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 439(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 440(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 441(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 442(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 443(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 444(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, तपेदिक और मलेरिया की रोकथाम के लिए ग्लोबल फण्ड द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट सामाग्रियों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 445(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 33/2005-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 446(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/2010-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 447(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 448(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 449(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 450(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 67/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा०का०नि० 451(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 3/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 452(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के०उ०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 453(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए ''निवासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी'' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 454(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों के मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 455(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सेनवैट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 456(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 66(अ) जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 152/84-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 458(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 459(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 460(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 81/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 461(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 9/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 464(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 465(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 13/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 466(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 467(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 468(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 469(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 84/97-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 470(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, तपेदिक और मलेरिया की रोकथाम के लिए ग्लोबल फण्ड द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट सामग्रियों को सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 472(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 473(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 474(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 164(अ) से का॰आ॰ 196(अ) जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए केन्यन शिलिंग की विनिमय दर से संबंधित शुद्धिपत्र दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 1417(अ) जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1452(अ) जो 5 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का॰आ॰ 1526(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या

36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का॰आ॰ 1565(अ) जो 19 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 1649(अ) जो 30 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1684(अ) जो 3 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 476(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 477(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा-कर (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 478(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 479(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा-कर (मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 480(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 481(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 26/2004-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) कराधान बिंदु (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 482(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेवाओं के उपबंध का स्थान (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 483(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 484(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए ''निवासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी'' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे।

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के विनियोग लेखे।

(तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए रक्षा सेवाएं (संघ सरकार) के विनियोग लेखे।

(चार) वर्ष 2012-2013 के लिए डाक सेवाएं (संघ सरकार) के विनियोग लेखे।

(पांच) वर्ष 2012-2013 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।

(छह) वर्ष 2012-2013 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे।

(30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(31) वर्ष 2013-2014 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से उधार लिए जाने के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 25 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अपराह्न 12.02 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में भूस्खलन की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

7. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के खण्ड 12(1)(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों

के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने की लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

श्री रवि शंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से जाना जाएगा, गठित की जाए जिसमें पन्द्रह सदस्य होंगे, दस सदस्य लोक सभा से तथा पांच राज्य सभा से, जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से किया जाएगा:

संयुक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(एक) वर्तमान सभी ''समितियों'' (संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई समितियों से भिन्न समितियों जिन्हें संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंप दिया गया था) की रचना और प्रकृति की जांच करना तथा उन सभी ''समितियों'' की रचना और प्रकृति की जांच करना जो गठित की जा सकती हैं, जिनकी सदस्यता, संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए अनर्हता कारक हो सकती है;

(दो) समिति द्वारा जांच की गई ''समितियों'' के संबंध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद निरर्हता कारक हैं और कौन से पद निरर्हता कारक नहीं हैं;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 के अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उपरोक्त अनुसूची में संशोधन हेतु सुझाव देना है चाहे वह संशोधन उसमें कुछ जोड़ कर, घटाकर अथवा अन्यथा करना हो;

कि संयुक्त समिति, समय-समय पर संसद की दोनों सभाओं को उपर्युक्त सभी मामलों या उनमें से किसी एक के बारे में प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की एक बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और आशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसा कि अध्यक्ष बनाए; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 के खण्ड 5(1)(ट), खण्ड 6(2) के साथ पठित, के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 के खण्ड 5(1)(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 के खण्ड 4(छ), एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में स्थापित छह नए

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्रत्येक के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 के खण्ड 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 के खण्ड 6(2) के साथ पठित खण्ड 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.14 बजे

14. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के खण्ड 4(4)(घ), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित, के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.03 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घण्टे 57 मिनट

श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में 30 जुलाई, 2014 को उठाई गई चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रामसिंह राठवा
*2. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
*3. श्री सुनील कुमार सिंह
4. श्री बंडारू दत्तात्रेय
5. श्रीमती रंजीत रंजन
6. श्री शरद त्रिपाठी
7. श्री अजय मिश्रा
*8. डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज
9. श्री पी॰ करूणाकरन
10. श्री राम कृपाल यादव
11. श्रीमती कृष्णा राज
*12. श्री आर॰ गोपालकृष्णन
13. श्री भीमराव बी॰ पाटील
14. श्री अजय टम्टा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

15. डॉ॰ भोला सिंह
16. श्री ताम्रध्वज साहू
*17. डॉ॰ ए॰ सम्पत
18. श्री राजेन गोहेन
*19. श्री हरिभाई चौधरी
20. श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले
21. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
22. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह कृषि क्षेत्र में संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग जिसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।''

श्री राजू शेट्टी ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री ओम बिरला
3. श्री के॰ परसुरमन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब (भाषण पूरा नहीं हुआ)

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 5.20 बजे

(लोक सभा सोमवार, 04 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—1926LS—01-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 अगस्त, 2014/13 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 25

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—366 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 367—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3446—3588 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(21) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):—

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 2) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 1) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-11/2014-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतर्संबंध करारों का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 3) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-11/2014-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ब्रॉडबैंड सर्विस की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 2) जो 25 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 304-8/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 2) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-11/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए खान मंत्रालय का परिणामी बजट।

(25) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज छूट (संशोधन) नियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 510(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 320(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 321(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(28) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओडिशा राज्य में लौह और मैगनीज अयस्कों के अवैध खनन संबंधी न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह जांच आयोग का दूसरा प्रतिवेदन (तीन वोल्यूम)—अक्टूबर, 2013, तथा उस पर कार्रवाई ज्ञापन।

(दो) गोवा राज्य में लौह और मैगनीज अयस्कों के अवैध खनन संबंधी न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह जांच आयोग का तीसरा प्रतिवेदन (एक वोल्यूम)—अक्टूबर, 2013, तथा उस पर कार्रवाई ज्ञापन।

(तीन) झारखण्ड राज्य में लौह और मैगनीज अयस्कों के अवैध खनन संबंधी न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह जाँच आयोग का पहला प्रतिवेदन (चार वोल्यूम)—अक्टूबर, 2013, तथा उस पर कार्रवाई ज्ञापन।

(29) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का परिणामी बजट।

(30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीको लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पाँच) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(31) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2014 का संख्यांक 18) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)—पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा ग्रिड मैनेजमेंट बाई पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय द्वारा पारेषण परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) एयर इंडिया लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेपा लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) सांभर साल्ट्स लिमिटेड तथा हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पाँच) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) रिर्चडसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

(37) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने ग्लास्गो, स्कॉटलैंड में 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले और 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय दल को सभा की ओर से बधाई दी।

*अपराह्न 12.04 बजे

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 30 जुलाई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.09 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.30 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरै ने श्रीलंका सरकार द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

#श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.37 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

$अपराह्न 2.07 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापन

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

8. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.08 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री भोला सिंह द्वारा बुलन्दशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री गणेश सिंह द्वारा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की नगर पंचायतों में पेयजल तथा सीवर लाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने तथा उन्हें संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.00 बजे।

$अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 2.07 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री रमेन डेका द्वारा मगनरेगा के अंतर्गत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों की निगरानी तथा असम में बांधों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना व इसके आस-पास के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री छेदी पासवान द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुण्डेश्वरी धाम से मध्य प्रदेश के मैहर देवी स्थान को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राकेश सिंह द्वारा देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयुध कारखानों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा विद्यार्थियों को आसान शर्तों तथा कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सी॰आर॰ चौधरी द्वारा राजस्थान में सूखे और अकाल की पूरी अवधि के लिए सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री वी॰ पन्नीरसेलवम द्वारा तमिलनाडु के सलेम इस्पात संयंत्र को लौह-अयस्क निर्माण कारखाने में तब्दील किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पटसन निगम का एक प्रापण केन्द्र स्थापित किए जाने तथा पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री तथागत सत्पथी द्वारा खाद्यान्नों के लिए देश में पर्याप्त संख्या में गोदाम प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अरविंद सावंत द्वारा दक्षिण मुम्बई के अम्बेडकर नगर में मैनग्रोव को गैर-कानूनी बस्तियों से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़ द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार के बांका जिले में बदुआ बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समुचित कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

***10. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.11 बजे

11. ध्यानाकर्षण—नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा में परिवर्तित

लिया गया समय: 4 घण्टे 15 मिनट

श्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में इन्सेफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

कुछ सदस्यों ने निवेदन किया कि मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा में परिवर्तित किया जाए।

सदस्यों को सुनने के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष ने सभा की सहमति से, ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा में परिवर्तित किया।

तद्नुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री जबदम्बिका पाल
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. डॉ॰ ममताज संघमिता
4. श्री भर्तृहरि महताब

---

*अपराह्न 2.55 बजे।

5. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
6. श्री मोहम्मद सलीम
7. श्री चिराग पासवान
8. श्री राजीव प्रताप रूडी
9. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
10. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
11. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
12. श्री अश्विनी कुमार चौबे
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री रामकृपाल यादव
15. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
16. श्री कमलेश पासवान
17. श्री गौरव गोगोई
18. डॉ॰ संजय जायसवाल
19. डॉ॰ कुलमणि सामल
20. डॉ॰ अरुण कुमार
21. श्री दद्दन मिश्रा
22. डॉ॰ के॰ कामराज
23. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
24. श्री चन्द्रकांत खैरे
25. डॉ॰ ए॰ सम्पत

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

*सायं 7.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 5 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

*सायं 6.27 बजे से सायं 7.02 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1971LS—04-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 5 अगस्त, 2014/14 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 26

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—388 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 389—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3589—3818 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) डोनाई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरूम्बुदूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरूम्बुदूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2014-2015 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।

(15) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2014 जो 7 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 433(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (डिग्री ऑफ मास्टर्स एण्ड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) संशोधित अध्यादेश, 2014 जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406 में प्रकाशित हुए थे।

(24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 114(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रबी मौसम, 2013-2014 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को इंगित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1088(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खरीफ मौसम, 2014 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को इंगित किया गया है।

(25) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिलिकोसिस के बारे में भारतीय संसद को विशेष प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिलिकोसिस के बारे में विशेष प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(26) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1479(अ) जो 7 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलोर समुद्रपत्तन को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ

भारत में प्रवेश के लिए एक प्राधिकृत आप्रवास चेकपोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1480(अ) जो 7 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुलिस आयुक्त, मंगलोर सिटी को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 01.07.2014 से कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले की अधिकारिता में अवस्थित मंगलोर समुद्रपत्तन के लिए ''सिविल प्राधिकारी'' नियुक्त किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1421(अ) जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आप्रवास ब्यूरो में फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अहमदाबाद को 01 अगस्त, 2014 से गुजरात राज्य में क्रमशः पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद पुलिस अधीक्षक, अहमदाबाद रूरल एण्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गुजरात के अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद रूरल एण्ड गांधी नगर जिले की अधिकारिता के लिए विदेशियों विषयक नियम, 1992 का रजिस्ट्रीकरण के नियम 3 तथा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2014 जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1422(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(27) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (दण्ड और अपील) (संशोधन) नियम, 2011 जो 30 नवम्बर, 2011 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 13/28/2011/एचपी-I/स्था॰/3891 से 3897 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल परा पशुचिकित्सा स्टाफ, समूह 'ख' और 'ग' पद (थोधक) भर्ती नियम, 2014 जो 7 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 81(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल, रेडियो फिटर, ड्राफ्ट्समैन) (अराजपत्रित) पुरुष या महिला रैंक (सिग्नल्स) संशोधन नियम, 2011, जो 14 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 144 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती नियम, 2014, जो 15 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 88(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) वर्ष 2014-2015 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1632(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2014, जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1508(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1994-1995 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1994-1995 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1995-1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि० 326(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.04.2014 से प्रारंभ होकर 31.05.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्ची चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन दो हजार दो सौ सतहत्तर रुपए होगी।

(तीन) सा०का०नि० 369(अ)/आव०व०/गन्ना जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी सत्र 2012-2013 के लिए गन्ने का निर्माणी-वार उचित तथा लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 394(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.06.2014 से प्रारंभ होकर 31.07.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्ची चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ रुपए होगी।

(पांच) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 3 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1685(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(38) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदन, 2013।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदन, 2013 पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सभापति तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*अपराह्न 12.04 बजे

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रसायन और उर्वरक मंत्री ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'कीटनाशकों का उत्पादन तथा उपलब्धता' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

---

* अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.14 बजे तक तथा अपराह्न 12.46 बजे से अपराह्न 12.58 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) कृषि मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (i) 'पर्यटन् क्षेत्र को हानि' के बारे में प्रो॰ सौगत राय, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के संबंध में 8.7.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के रुख के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश के प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में अश्लील वाणिज्यिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री कीर्ति आजाद ने दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के बारे में एक मामला उठाया।

(3) श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय डकैतों के गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री राम कृपाल यादव ने बिहार में पटना जिले के विक्रम में ट्रॉमा सेंटर का कार्यकरण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

#अपराह्न 12.30 बजे

(5) श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा ने कन्नड़ भाषा के संवर्धन के लिए निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्री विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाटशिला रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्री रामदास सी॰ तडस ने वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के देवली में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहित की गई, उन्हें क्षतिपूर्ति और नौकरियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री हरीश मीना ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का सम्मान बढ़ाने वाले निर्धन खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मालवा क्षेत्र में बुद्ध नाला नामक मौसमी जलधारा की सफाई को सुनिश्चित करने हेतु लुधियाना शहर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू ने चेन्नई उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार ने जूट क्षेत्र हेतु पुनरुद्धार पैकेज घोषित करने और इसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्री भर्तृहरि महताब ने केन्द्रीय बिक्री कर की दर में कमी के कारण ओडिशा द्वारा वहन की जा रही हानि के बदले राज्य को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कल्याण-ठाणे-मुम्बई जलमार्ग को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) श्री एम॰बी॰ राजेश ने पालक्काड (केरल) और पोल्लाची (तमिलनाडु) के बीच रेललाइनों के आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्रतापूर्वक पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(16) श्री कौशलेन्द्र कुमार ने चिकित्सकों द्वारा ईलाज और रोगियों का ऑपरेशन किए जाने के लिए तिथि निर्धारित करने के लिए एम्स, दिल्ली के साथ सीधा सम्पर्क करने के प्रावधान सहित चिकित्सा परीक्षण सुविधाओं जैसी समस्त सुविधाओं से एम्स, पटना को सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(17) श्री जोस के॰ मणि ने किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने के लिए उन्हें गारन्टीशुदा आय प्रदान करने की व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अपराह्न 2.32 बजे

6. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 8 घण्टे 43 मिनट

श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में 30 जुलाई, 2014 को प्रारंभ की गई चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जयप्रकाश नारायण यादव

*2. श्री जोस के॰ मणि

3. श्री आर॰ के॰ सिंह

*4. श्री एंटो एन्टोनी

5. श्री अधीर रंजन चौधरी

6. श्री केशव प्रसाद मौर्य

7. श्री बलभद्र माझी

8. श्री किरेन रिजीजू

9. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*10. श्री राजकुमार सैनी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

11. श्री पंकज चौधरी

*12. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

13. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा

*14. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

15. श्री राम प्रसाद शर्मा

16. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'

17. श्री के॰ अशोक कुमार

18. श्री सी॰ आर॰ चौधरी

19. श्री गौरव गोगोई

20. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

21. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

22. श्री धर्मेन्द्र कुमार

*23. श्री सी॰ महेन्द्रन

*24. श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन

*25. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

*26. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*27. श्री जुगल किशोर शर्मा

*28. श्रीमती संतोष अहलावत

*29. श्री अश्विनी कुमार चौबे

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.19 बजे

7. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 41 मिनट
शेष : 1 घंटा 19 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली
2. डॉ॰ किरीट सोमैया (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.44 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 6 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.44 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2030LS—05-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 6 अगस्त, 2014/15 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 27

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 69वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण परमाणु विध्वंस के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—403 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.32 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.40 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 404 और 405 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 406—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3819—4048 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 376(अ) जो 11 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 10.05.2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1199(अ) तथा 18.06.2013 के का॰आ॰ सं॰ 1744(अ) के माध्यम से अधिसूचित कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र में भूखण्डों के संबंध में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का उपभोग करने के लिए प्रभारों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 381(अ) जो 12 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 30.10.2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2622(अ) के माध्यम से अधिसूचित दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण में युक्तिका/आशोधनों के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 356(अ) जो 6 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 30.10.2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2622(अ)

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 20.03.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

के माध्यम से अधिसूचित दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण के लिए विनियम में संशोधनों/आशोधनों के बारे में है।

(5) वर्ष 2014-2015 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी यू॰टी॰, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी यू॰टी॰, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (राज्य शिक्षा केन्द्र-मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (राज्य शिक्षा केन्द्र-मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-अरूणाचल प्रदेश, पापुम परे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-अरूणाचल प्रदेश, पापुम परे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मॉडल-स्कूल्स स्कीम एण्ड गर्ल्स हॉस्टल स्कीम हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मॉडल-स्कूल्स स्कीम एण्ड गर्ल्स हॉस्टल स्कीम हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(50) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 288 जो 30 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(पांच) वर्ष 2014-2015 के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(छह) वर्ष 2014-2015 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(54) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बोयोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(56) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) (संशोधन) नियम, 2014 जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#अपराह्न 12.02 बजे

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री की 3-4 अगस्त, 2014 की नेपाल यात्रा के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस रोग के प्रकोप तथा उक्त बीमारी से हमारे नागरिकों के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों, हिंसा और ध्रुवीकरण की बढ़ती हुई घटनाओं पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.09 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री आलोक संजर ने मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को भौगोलिक संकेतन प्रमाणन प्रदान करने के लिए बौद्धिक संपदा बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली दायर की गई अपील को वापस लेने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पर जोर डाले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) डॉ॰ भोला सिंह ने बिहार के बेगुसराय जिले में प्रस्तावित पक्षी अभ्यारण्य के लिए अधिगृहित भूमि का स्वामित्व किसानों को लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) कर्नल सोनाराम चौधरी ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मल-जल और औद्योगिक कचरा डालने, जिससे पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, को बंद करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.46 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

(4) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने उत्तराखण्ड में उन किसानों, जिन्हें अत्यधिक वर्षा के कारण फसल का नुकसान हुआ है, को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने और राज्य में किसानों को हो रही कृषि संबंधी समस्याएं दूर करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री कौशल किशोर ने मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री नलिन कुमार कटील ने कम कीमत की सुपारी का आयात किए जाने से घरेलू सुपारी के उत्पादन के मूल्य में कमी के कारण परेशान घरेलू सुपारी उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री सतीश कुमार गौतम ने अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगाघाट, संकारा में पक्के स्नान घाट और सड़कें, सार्वजनिक प्रसाधन और प्रशिक्षित गोताखोरों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री कमलेश पासवान ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की मरम्मत हेतु निधि उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने कोल्लम केरल में पार्वती मिल्स के पुनरुद्धार हेतु तत्काल कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स जैसा संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की मरम्मत कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रेल समपार संख्या 131 और 132 पर सड़क ऊपरी पुलों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री एम॰ चन्द्राकाशी ने तमिलनाडु के अरीयालुर रेलवे स्टेशन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136 पर रेल ऊपरी पुल के निर्माण हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने और अरीयालुर रेलवे स्टेशन पर पोथीगई एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस और अन्य महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री पी॰आर॰ सेन्थिलनाथन ने शिवगंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई तालाबों के रख-रखाव हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री सुल्तान अहमद ने पॉल्ट्री फॉर्म्स में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्रीमती प्रतिमा मंडल ने सुंदरवन के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री सी॰एस॰ पुट्टाराजू ने कर्नाटक में किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने तथा चीनी और गुड़ उद्योग की बेहतरी हेतु नई वैज्ञानिक नीति लागू करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्रीमती सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के पुणे में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.43 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 3 घंटे 31 मिनट

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ किरीट सोमैया (अपना भाषण पुन:आरंभ किया)
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री पी॰ नागराजन
4. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
5. श्री अरविंद सावंत
6. श्री एम॰ मुरली मोहन
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
10. श्री राजीव प्रताप रूडी

11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री एस०एस० अहलुवालिया
13. डॉ० अरूण कुमार
14. श्री पी०पी० चौधरी
15. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
16. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. श्री अधीर रंजन चौधरी
19. श्री निशिकांत दुबे
20. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ किया गया।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 से 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 20 से 24 स्वीकृत हुए।

खण्ड 25 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 से 31 स्वीकृत हुए।

खण्ड 32 से 41 स्वीकृत हुए।

खण्ड 42 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 44 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 से 57 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री गणेश सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 5.33 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 27 मिनट
शेष : 1 घंटा 33 मिनट

श्री पी॰ करुणाकरन ने देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए कठोर विधान की आवश्यकता के बारे में एक चर्चा उठाई।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 7 अगस्त, 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

*अपराह्न 5.05 बजे

दिनांक 05.08.2014 के

समाचार भाग-1 संख्या 26

का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाए
14	21	चर्चा पूरी नहीं हुई।	चर्चा समाप्त हुई।

GMGIPMRND—2067LS—06.08.2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 7 अगस्त, 2014/16 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 28

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—425 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 426—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4049—4278 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1633(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31.1.2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 294(अ) में अंतर्विष्ट आदेश की वैधता जो 30 जून, 2014 को समाप्त हो रही थी, को उक्त आदेश के अवसान से आगे पांच माह की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा जिसका शुद्धिपत्र जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1890(अ) में (हिन्दी संस्करण में) प्रकाशित हुआ है।

(8) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2014-2015 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या जेईआरसी-11/2010 जो 8 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 7 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या 224 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1306(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 332(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 506(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1241(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलानु-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1239(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाइपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1283(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा से मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 877(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2744(अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तिरुवनंतपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2140(अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलुरीपेट–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1763(अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई–कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1303(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकराबंडी–कुंबाकोनम–तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1063(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर–मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 533(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडिवणम–कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1267(अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर–मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1064(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर–मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1280(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर–मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 367(अ) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में पल्लावरम और मीनमबक्कम गाँवों के एयरपोर्ट जंक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1174(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी–कुंबाकोणम–तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 529(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी–कुंबाकोणम–तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1809(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 638(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेरथलाई–ओआचिरा खण्ड) (प्रोजेक्ट चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2857(अ) जो 7 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वनियमपारा-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2207(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1303(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3711(अ) में प्रकाशित हुआ है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2564(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट से डिब्रुगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 3425(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 3464(अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 3471(अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 3500(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 3501(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 से 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का॰आ॰ 3473(अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 3684(अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोजीकोड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1757(अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 55(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 68(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 246(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कोरिडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 159(अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 152(अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2520(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1464(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा था जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1858(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1238(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1829(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2577(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद–यादगिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवालीस) का॰आ॰ 2766(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1301(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1277(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाडा-मछलीपट्टनम कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 57 (अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 134(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 135(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 158(अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 249(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 969(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का॰आ॰ 775(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(तिरपन) का०आ० 872(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का०आ० 873(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचपन) का०आ० 866(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छप्पन) का०आ० 838(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्तावन) का०आ० 871(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(अठावन) का०आ० 869(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनसठ) का०आ० 870(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(साठ) का०आ० 841(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 का अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का०आ० 842(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बासठ) का॰आ॰ 836(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 837(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंसठ) का॰आ॰ 864(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 865(अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का॰आ॰ 766(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 839(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का॰आ॰ 768(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 364(अ) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्तर) का॰आ॰ 769(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 364(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 772(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1121(अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (रींगस से सीकर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1549(अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वायटीला–अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 2565(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची बाइपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 2568(अ) जो 23 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी–कुंभकोनम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1368(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल–थेनी–कुमिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2382(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी–कुंभकोनम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 2684(अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतीपल्ली–कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 2137(अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2638(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 707(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 1418(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 711(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 324(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2014 जो 19 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 364(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2014 जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित अधिसूचनाओं से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 6 अगस्त, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पाँचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) रेल (संशोधन) विधेयक, 2014

(दो) *कारखाना (संशोधन) विधेयक,* 2014

श्री विष्णुदेव साई द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से पेश किए गए कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

"माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इससे पहले कि मैं कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन पर आपत्ति उठाने के लिए आपका नाम पुकारूं, मैं यह सूचना दे दूं कि निदेश 19ख के अंतर्गत, अध्यक्ष को किसी विधेयक के दो दिन पूर्व परिचालन की आवश्यकता में ढील देने और पुर:स्थापन के लिए कार्यसूची में उसे सम्मिलित करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है।

वर्तमान मामले में, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधेयक के प्रभारी मंत्री हैं, ने दो दिन पूर्व परिचालन की आवश्यकता में ढील देने का मुझसे अनुरोध किया और मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है......"

कुछ चर्चा के पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(तीन) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014

*अपराह्न 12.13 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री एम॰ तंबिदुरै ने संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

---

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

सर्वश्री राजेश रंजन,एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, के॰ कामराज,बी॰ सेनगुट्टुवन, जे॰जे॰टी॰ नटर्जी, एम॰बी॰ राजेश, पी॰ के॰ बिजू, पी॰ करुणाकरन, धर्मेन्द्र यादव, ए॰ संपत, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्रीमती रंजीत रंजन, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और मोहम्मद बदरूद्दोजा खान सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.46 बजे

(दो) श्री भर्तृहरि महताब ने ओडिशा के बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और पुनर्वास हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्रीमती कृष्णा राज ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजा माल गोदाम स्थित रेलवे साइडिंग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से दूर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री राम टहल चौधरी ने झारखंड के रांची में छावनी क्षेत्र के आस-पास रह रहे असैनिकों को पैदल पथ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री जयंत सिन्हा ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री रतन लाल कटारिया ने हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला विशेषकर अंबाला छावनी में प्रभावी मल-जल प्रणाली हेतु योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री छोटे लाल ने मुगल सराय से चकिया नौगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाईन को रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय तक विस्तारित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किए गए सभी रेलवे स्टेशनों पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ने गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के श्रीनगर में निर्माणाधीन अलकनंदा जलविद्युत परियोजना से पानी के रिसाव के कारण जान-माल पर मंडरा रहे संकट को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों की समस्या को दूर करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री ताम्रध्वज साहू ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन ने तमिलनाडु में प्रतिकूल मौसम की दशा के कारण अपनी फसल का नुकसान झेल चुके नारियल किसानों को कृषि ऋण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री एस॰ राजेन्द्रन ने विलुप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र तट पर 'सुनामी दीवार' का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में जूट किसानों और जूट मिलों की समस्याएं दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) मौलाना बदरूद्दीन अजमल ने असम के धुवरी जिले में जूट का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने और जूट मिलें स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री भगवंत मान ने पंजाब में कैंसर पर नियंत्रण करने के लिए उपचारात्मक उपाए करने और मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में पेयजल की समस्या दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री जगदम्बिका पाल ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पंचायत स्तर पर लोगों की आकाक्षाएं पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्रीमती कमला देवी पाटले ने छत्तीसगढ़ में जंजगीर स्थित उप-डाकघर का मुख्य डाकघर के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री प्रतावराव गणपतराव जाधव ने प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.33 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 56 मिनट

श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए कठोर विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में 6 अगस्त, 2014 को उठाई गई चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती विजया चक्रवर्ती (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्रीमती रंजीत रंजन
3. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
4. डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्रीमती किरण खेर
7. श्री एम॰ मुरली मोहन
8. श्री गोडम नगेश
9. श्रीमती कोथापल्ली गीता
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्रीमती रमा देवी
12. श्रीमती डिंपल यादव
13. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
14. श्री राजेश रंजन
15. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
16. डॉ॰ अरुण कुमार

17. श्री अरविंद सावंत

18. श्रीमती ज्योति धुर्वे

19. कुमारी सुष्मिता देव

20. श्रीमती एम॰ वसन्ती

21. श्रीमती रेणुका बुत्ता

22. श्रीमती संतोष अहलावत

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 8 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—2094LS(S3)—07-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 29

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की 72वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और राष्ट्रपिता एवं स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441, 442 और 444 के मौखिक उत्तर दिए गए।

जिस सदस्य के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 443 था, वे अनुपस्थित थे। वे दोनों सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 445 था, भी अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 445 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 446—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4279—4508 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1111(अ) से का॰आ॰ 1116(अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 6 नए एम्स संस्थान निकाय जिनके नाम उसमें उल्लिखित हैं, में नामनिर्देशनों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत संशोधित दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014 जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-97-2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए वैवाहिक आवास परियोजना महानिदेशालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए भूतपूर्व सैनिक अभिदायी स्वास्थ्य स्कीम का परिणामी बजट।

(5) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के 44वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) वर्ष 2014-2015 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 129(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्योरों का विनिर्देशन) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 238(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (लेखे) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (लाभांश की घोषणा और संदाय) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 241(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) निधि नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 258(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण पत्रिका और आबंटन) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 250(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (निरीक्षण, अन्वेषण और जांच) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 246(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 260(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 259(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 257(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 256(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कम्पनी (विदेशी कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) कम्पनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) कम्पनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 जो 28 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा शक्ति) संशोधन नियम, 2014 जो 12 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2014 जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) कम्पनी (प्रतिभूतियों की विवरण पत्रिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2014 जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 130(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कतिपय संशोधन किए गए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 2 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 261(अ) में प्रकाशित हुआ है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 237(अ) जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(13) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2014 जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1177(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो 29 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1406(अ) में प्रकाशित हुआ है।

(दो) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2014 जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1428(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2014 जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1429(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) चौथा आदेश, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1460(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(14) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1354(अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 और 154 के अंतर्गत रीजनल डायरेक्टर, नोएडा को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1353(अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित कम्पनी रजिस्ट्रार को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1352(अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित रीजनल डायरेक्टरों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(15) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूति अपील, प्राधिकरण को अपील) नियम, 2014 जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा॰का॰नि॰ 358(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सामग्रियों और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी लेखा संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जमशेदजी नुसरवानजी टाटा की 175वीं जन्म वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर उनकी स्मृति में निर्मित एक सौ रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2014, जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जन्म वर्षगांठ के समरोह के अवसर पर उनकी स्मृति में निर्मित बीस रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013, जो 14 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कॅयर बोर्ड की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर निर्मित साठ रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2014 जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आचार्य तुलसी जम्म शताब्दी के अवसर पर निर्मित बीस रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013 जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 525(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्याततित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बनाए गए फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 14 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 526(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा

कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य, रूस और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित रबड़ उपायोजन में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 29 जुलाई, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 527(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक कोरिया (जनवादी गणराज्य) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी श्रेणी और सभी सांद्रता फास्फोरिक एसिड (कृषि और उर्वरक श्रेणी को छोड़कर) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 21 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 528(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 15 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 529(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटाशियम कार्बोनेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 541(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की

जा रही जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीयन संघ, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्यूरीफाइड टेरीफ्थैलिक एसिड, जिसमें इसके परिवर्त जैसे कि मीडियम क्वालिटी टेरीफ्थैलिक एसिड और क्वालीफाइड टेरीफ्थैलिक एसिड भी शामिल हैं, के आयात पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 535(अ) जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट रबड़ केमिकल्स के आयात पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता तथा संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास असंदत्त और अदावाकृत धनराशियों के बारे में सूचना का अपलोड किया जाना) संशोधन नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 262(अ) जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनियों को निधि दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा-शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियम, 2014 जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 82(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि अपनी 30 जुलाई, 2014 को हुई बैठक में, राज्य सभा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए दोनों सभाओं की समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया:—

1. श्री राम नारायण डूडी
2. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
3. श्री अहमद हसन
4. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप
5. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
6. श्री वी॰ हनुमंत राव
7. श्रीमती विजिला संत्यानंत
8. श्री अश्क अली टाक
9. श्री राम नाथ ठाकुर
10. श्री शंकरभाई एन॰ वेगड़

(दो) कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में दस सदस्यों की रिक्ति को भरने के लिए राज्य सभा द्वारा 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव जिसमें 9 सदस्य विधिवत निर्वाचित किए गए थे तथा जिसकी सूचना 28 जुलाई, 2014 को सभा को दी गई थी, के अनुक्रम में राज्य सभा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में राज्य सभा की शेष एक रिक्ति के लिए लोक सभा को अनुशंसा करने के लिए निर्वाचन की सहमति दी तथा श्री अम्बेथ राजन को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के

कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने (i) 'रक्षा संविदाएं' के बारे में श्री कालीकेश एन॰ सिंह देव, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2946 के 10 फरवरी, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 67वें से 70वें तथा 75वें से 78वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सर्वश्री हरिश्चन्द्र चव्हाण और गजेन्द्र सिंह शेखावत, संसद सदस्यों द्वारा 'खसरे के मामले' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 269 के 25 जुलाई, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने 11 अगस्त, 2014 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.13 बजे

8. ध्यानाकर्षण

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने देश में गन्ने तथा अन्य कृषि उपजों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को सही किए जाने की आवश्यकता की ओर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस बारे में वक्तव्य दिया।

---

*अपराह्न 12.51 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

कृषि मंत्री ने भी सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 24 मिनट

श्री पी॰ करुणाकरण द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए कठोर विधान की आवश्यकता के बारे में 6 अगस्त, 2014 को आरंभ की गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे
2. श्रीमती पूनम महाजन
3. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
4. श्रीमती अंजू बाला
5. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री दुष्यंत चौटाला
8. साध्वी सावित्री बाई फूले
9. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
10. श्री बदरूद्दीन अजमल
11. श्री असादुद्दीन ओवैसी
12. श्री भगवंत मान
13. श्रीमती पूनमबेन माडम (*भाषण अपूर्ण*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री देव जी एम० पटेल का कृषक (कृषि उपज के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य का अधिकार) विधेयक, 2014

(2) श्री एम०के० राघवन का नारियल उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2014

(3) श्री एम०के० राघवन का वन्य जीवजंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2014

(4) श्री एम०के० राघवन का केरल उच्च न्यायालय (कोझीकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2014

(5) श्री एम०के० राघवन का प्राकृतिक आपदाओं तथा सर्प दंश पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2014

(6) डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2014 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(7) डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का किराए की कोख (विनियमन) विधेयक, 2014

(8) डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन आदि)

(9) डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का एसिड (नियंत्रण) विधेयक, 2014

(10) श्री ए०टी० नाना पाटील का सरकारी सेवाएं (अनुकंपा नियुक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2014

(11) श्री ए०टी० नाना पाटील का राष्ट्रीय आस्तियां (संरक्षण) विधेयक, 2014

(12) श्री ए०टी० नाना पाटील का कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2014

(13) श्री ए०टी० नाना पाटील का प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 20क का संशोधन, आदि)

(14) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (जल-निकायों का संरक्षण) विधेयक, 2014

(15) श्री राजीव प्रताप रूडी का श्रम बल (मांग और आपूर्ति सर्वेक्षण) विधेयक, 2014

(16) श्री राजीव प्रताप रूडी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(17) श्री राजीव प्रताप रूडी का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

(18) श्री सुनील कुमार सिंह का गायों के प्रति क्रूरता का निवारण विधेयक, 2014

(19) श्री सुनील कुमार सिंह का राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2014

(20) श्री जगदम्बिका पाल का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापनेतर स्टाफ की सेवा शर्तें) विधेयक, 2014

(21) श्री जगदम्बिका पाल का पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2014

(22) श्री जगदम्बिका पाल का परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेन्टर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2014

(23) जय प्रकाश नारायण यादव का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुसूची का संशोधन)

(24) जय प्रकाश नारायण यादव का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुसूची का संशोधन)

(25) श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल) का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 243क का संशोधन)

(26) श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल) का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 171 का संशोधन)

(27) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 39 का संशोधन)

अपराह्न 3.50 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया।

राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारण्टी) विधेयक, 2014

श्री निशिकांत दुबे द्वारा 25 जुलाई, 2014 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री राम कृपाल यादव

3. श्री वीरेन्द्र कश्यप
4. श्री पी॰पी॰ चौधरी
5. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय
6. श्रीमती रमा देवी
7. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
8. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
9. डॉ॰ ममताज संघमिता
10. श्री हंसराज गंगाराम अहीर
11. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री निशिकान्त दुबे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 5.54 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक, 2014

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.54 बजे

(लोक सभा सोमवार, 11 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.54 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

GMGIPMRND—2143LS(S3)—08-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 30

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461-462 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 463—465 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 466—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4509—4649 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड और गेल गैस लिमिटेड के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वित्तीय आकलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री; इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह अयस्क की निर्यात नीति की समीक्षा' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात इस्तेमाल का संवर्धन' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(तीन) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'एमएसटीसी लिमिटेड का कार्यकरण' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(चार) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कर्मकारों की सेवा शर्तें' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(पांच) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन तथा परिवहन' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04 बजे

5. ध्यानाकर्षण

श्रीमती कविता कलवकुंतला ने दक्षिण कश्मीर में कौसर नाग यात्रा को रोके जाने के निर्णय, जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना में बाधक होगा की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.45 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में राज्यों द्वारा अनुपालन के लिए कतिपय सन्नियमों को विहित करने वाले कथित रूप से गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014*

(दो) *निरसन और संशोधन विधेयक, 2014*

@(तीन) *राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014*

@(चार) *संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014*
(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंत:स्थापन)।

अपराह्न 2.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री राजवीर सिंह 'राजू भैया' ने उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कासगंज स्थित धार्मिक महत्व के स्थान सोरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने और इस क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 12.58 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

@अपराह्न 5.23 बजे।

(2) श्री देवजी एम॰ पटेल ने देश में विशेषकर राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(3) श्रीमती नीलम सोनकर ने आजमगढ़ से होते हुए वाराणसी और गोरखपुर के बीच एक रेल लिंक प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री सुनील कुमार सिंह ने बरवाडीह (झारखंड) और चिरीमिरी (छत्तीसगढ़) के बीच रेललाइन के निर्माण के लिए धन जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्री रत्न लाल कटारिया ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्टोन क्रशरों को चलाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्री सुधीर गुप्ता ने नीमच, मध्य प्रदेश में स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयंत्र को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने दवाई की दुकानों में गलत पढ़े जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए चिकित्सकों को दवाई की पर्ची बड़े अक्षरों (केपिटल लैटर्स) में लिखना अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री आर॰ ध्रुवनारायण ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) श्री आर॰ गोपालकृष्णन ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे पर कार्गो सेवाओं के प्रचालन में तेजी लाए जाने और इस हवाई अड्डे के और विकास के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग-बर्दवान नई रेललाइन हेतु सर्वेक्षण और निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) श्री भर्तृहरि महताब ने ओडिशा के जिन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं स्थापित करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्री प्रतापराव जाधव ने महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल की टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) श्री जैदेव गल्ला ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की अवधि को बढ़ाए जाने और इस राज्य के विकास हेतु और कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) श्री पी॰ के॰ बिजू ने केरल के पालक्काड जिले को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अर्हता मानदंड को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(16) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र में विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(17) श्री सुशील कुमार सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अपराह्न 2.36 बजे

9. सरकारी विधेयक—आस्थगित

रेल (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घण्टे 47 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री डी॰ वी॰ सदानन्द गौड़ा द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री वी॰ पन्नीरसेलवम
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री तथागत सत्पथी

6. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
8. डॉ॰ संजय जायसवाल
9. श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान
10. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
11. श्री संजय धोत्रे
12. श्री धर्मेन्द्र यादव
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
15. श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया
16. श्री शेर सिंह गुबाया
17. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
18. डॉ॰ किरीट सोमैया
19. श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल)
20. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
21. श्री प्रेम दास राई

श्री डी॰ वी॰ सदानन्द गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सदस्यों द्वारा विधेयक को संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपे जाने की मांग किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधेयक को विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए नहीं रखा गया।

अपराह्न 5.25 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014

आवंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	6 मिनट
शेष	:	1 घंटा 54 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.31 बजे

11. आधे घण्टे की चर्चा

श्री वीरेन्द्र सिंह ने ''दूध की कीमतों में वृद्धि'' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 383 के संबंध में 5.8.2014 को कृषि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर एक चर्चा उठाई।

श्री राधा मोहन सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 7.05 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 12 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

* सायं 6.11 बजे से सायं 7.05 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

GMGIPMRND—2168LS—11.08.2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 12 अगस्त, 2014/21 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 31

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481—486 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 487—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4650—4879 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2014 जो 21 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 518(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट

के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 580(अ) जो 27 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और (9) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''अपर न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1404(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1075(अ) जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1914(अ) और का॰आ॰ 1915(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में हैं।

(पांच) का॰आ॰ 888(अ) जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(6) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 43क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 742(अ) जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी करने या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण वरिष्ठ निजी सचिव और आशुलिपिक श्रेणी-I भर्ती नियम, 2014 जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें और सलाहकारी

समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय संशोधन)नियम 2014 जो 30 जुलाई 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 544(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(14) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सीएयू/रेग/584/अध्या०/05 जो 07 फरवरी, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उपाधियों और सम्मानिक उपाधियों तथा अन्य सम्मानों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन की रीति के लिए पहला अध्यादेश बनाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2014 जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1906(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का०आ० 1907(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयातित किए जाने वाले कैल्शियम सियानामाइड के विनिर्देशनों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का०आ० 1908(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्दिशनों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1909(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित, उर्वरक के 100 प्रतिशत जल विलेय मिश्रण के सामान्य विनिर्देशनों को निर्धारित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 1910(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 280(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1911(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित अनंतिम उर्वरकों के विनिर्देशनों को निर्धारित किया गया है।

(16) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तु) (संशोधन) नियम, 2014, जो 21 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 137 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद् मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद् मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल संस्थानों की सुरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली—एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

5. **ध्यानाकर्षण**

श्री रत्न लाल कटारिया ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती अनुसंधान संस्थान का गठन किए जाने की आवश्यकता की ओर जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.13 बजे

6. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014

अपराह्न 12.49 बजे

7. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम के शिव सागर जिले में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और उनके आरक्षण की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 12.49 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

(2) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार के वित्तीय हिस्सेदारी को जारी किये जाने और राज्य में सहकारी बैकों के लाइसेंस की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में वर्धा और देवली नगरों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हरिभाई चौधरी द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हीरा उद्योग के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पाली भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में सोन वैली सीमेंट्स लिमिटेड को पुन: चालू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नाना पटोले द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा हिन्दी टंकण के लिये सभी प्रकार को फोंट्स में एक समान की बोर्ड और हिंदी आशुलिपि के लिये भी एकरूप चिह्न और संकेतक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री छोटे लाल द्वारा उत्तर प्रदेश में 'राबर्ट्सगंज' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर 'सोनभद्र' किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राजीव सातव द्वारा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने और इस ट्रेन के आगमन और प्रस्थान समय को पुनर्निर्धारित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सी॰ महेंद्रन द्वारा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ पार्थिपन द्वारा तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस द्वारा कोलकाता मेट्रो को पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरुईपुर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा पुणे मेट्रो परियोजना हेतु धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राजेश रंजन द्वारा मैथिली भाषा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिये बढ़ाए गए शुल्क को वापस लिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.53 बजे

8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

लिया गया समय: 4 घंटे 03 मिनट

#(एक) *संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014* ***(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंत:स्थापन)***

#(दो) *राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014*

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

श्री रवि शंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।

कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 को विचार तथा पारित करने के लिए, लिए जाने के प्रस्ताव, जहां तक यह संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर आश्रित है, लागू करने के संबंध में निलंबित करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयकों अर्थात् (एक) संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंत:स्थापन); और (दो) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.25 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

एक साथ चर्चा की गई।

अपराह्न 2.02 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री वीरप्पा मोइली
2. श्री एस० एस० अहलुवालिया
3. डॉ० एम० तंबिदुरै
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री आनंदराव अडसुल
7. श्री बी० विनोद कुमार
8. डॉ० ए० सम्पत
9. श्री रामविलास पासवान
10. श्री धर्मेन्द्र यादव
11. श्री राजेश रंजन
12. डॉ० अरुण कुमार
13. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
14. श्री कौशलेन्द्र कुमार
15. श्री सी० एन० जयदेवन
16. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
19. श्री आर० राधाकृष्णन
20. श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.33 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 13 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी० के० ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—2228LS(S3)—12.08.2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 13 अगस्त, 2014/22 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 32

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री रेशम लाल जाँगड़े, सदस्य, अंत:कालीन संसद, पहली, दूसरी और नौंवी लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501—505 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 506—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4880—5109 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़-स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन), रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़-स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन), रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मिशन-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एण्ड दीव, मोती दमन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मिशन-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एण्ड दीव, मोती दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी–इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(36) वर्ष 2014-2015 के लिए योजना आयोग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवा (आचार) संशोधन नियम, 2014, जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 573(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014, जो 14 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014, जो 15 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1840(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014 में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

(40) वर्ष 2014-2015 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 12 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-2014) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

(एक) श्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(दो) श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री तथागत सत्पथी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(तीन) श्री अनन्त गंगाराम गीते ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्रीमती भावना गवली पाटील ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(चार) श्री श्रीनिवास केसिनेनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री एम॰ वेंकटेश्वर राव ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(पांच) श्री ए॰पी॰जितेन्द्र रेड्डी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री बी॰ विनोद कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(छह) श्रीमती बुत्ता रेणुका ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री एम॰ राजामोहन रेड्डी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(सात) श्री रामविलास पासवान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(आठ) श्री मुलायम सिंह यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री अक्षय यादव ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(नौ) श्री तारिक अनवर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्रीमती सुप्रिया सुले ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(दस) श्री पी॰ कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(ग्यारह) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

श्री एल॰के॰ आडवाणी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया और श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा समर्थन किया गया प्रस्ताव एकमत से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और डा॰ एम॰ तम्बिदुरै को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। चूंकि श्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, तत्पश्चात् पेश किए गए प्रस्ताव निष्फल हो गए हैं। मैं उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने के लिए सहर्ष आमंत्रित करती हूं।''

8. उपाध्यक्ष को बधाई

निम्नलिखित सदस्यों ने उपाध्यक्ष को बधाई दी:—

(1) श्री नरेन्द्र मोदी

(2) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

(3) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

(4) श्री सुदीप बंदोपाध्याय

(5) श्री भर्तृहरि महताब

(6) श्री अनन्त गंगाराम गीते

(7) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

(8) श्री पी॰ करूणाकरन

(9) श्री मुलायम सिंह यादव
(10) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
(11) श्री रामविलास पासवान
(12) श्री तारिक अनवर
(13) श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
(14) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
(15) श्री भगवंत मान
(16) श्री राजेश रंजन
(17) श्री दुष्यंत चौटाला
(18) श्री उपेन्द्र कुशवाहा
(19) श्री तारिक हमीद कर्रा
(20) श्री कौशलेन्द्र कुमार
(21) श्रीमती अनुप्रिया पटेल
(22) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
(23) डॉ॰ अंबुमनी रामादोस
(24) श्री आर॰ राधाकृष्णन
(25) श्री एच॰डी॰ देवगौडा
(26) श्री सी॰एन॰ जयदेवन
(27) श्री जोस के॰ मणि

अध्यक्ष ने भी बधाई दी।

प्रत्युत्तर में उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष और सदस्यों का धन्यवाद किया।

अपराह्न 1.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसे कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए सामुदायिक भवनों तथा रैन बसेरों का प्रावधान करने तथा ऐसी महिलाओं को अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने कमाने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के साथ-साथ भिंड और दतिया में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री भरत सिंह द्वारा बलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुरहा ताल (तालाब) को एक वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती अंजू बाला द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए वहां गंगा नदी पर बांध का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सी॰आर॰ चौधरी द्वारा राजस्थान के नागौर में समपार संख्या सी-61 पर रेल उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री चांद नाथ द्वारा राजस्थान के जयपुर में एकल चरण में अनारक्षित वन भूमि के लिये स्वीकृति दिए जाने तथा वहां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाये जाने तथा कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों में सी एन जी स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में निर्माणाधीन चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर उपरि पुलों तथा अंडर ब्रिजों के निर्माण को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा बिहार में समान्य और पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों जिन्होंने टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा जिनके पास अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये बी॰ एड॰ की डिग्री नहीं है, को छूट प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की घटती कीमतों को रोकने के लिये उपयुक्त उपाए किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा वाहनों में सन कंट्रोल फिल्मों के उपयोग की अनुमति देने के लिये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती वी॰ सत्यबामा द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ रत्ना (नाग) डे द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बांसबेरिया में एक रेलवे हॉल्ट स्टेशन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के लिये पर्याप्त निधियां आबंटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ सिद्धांत महापात्रा द्वारा नौपाड़ा (आंध्र प्रदेश) से गुनुपुर (ओडिशा) रेल लाइन के आमान परिवर्तन को बढ़ाकर थेरुबली तक किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे॰ एल॰ एन॰ पी॰ टी॰) द्वारा नहवा और शेवा गांवों के विकास के लिये भूमि आबंटित किये जाने तथा जे॰ एल॰ एन॰ पी॰ टी॰ को जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री रायपति सम्बसिवा राव द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले के पिदूगुरल्ला शहर में एक नये ई॰एस॰आई॰ अस्पताल की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा विशेषकर बिहार के नालंदा जिले में मौसम सांख्यिकी पर आधारित फसल बीमा योजना को बंद किये जाने तथा वहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.03 बजे

10. सरकारी विधेयक —— पारित

लिया गया समय: 6 घण्टे 3 मिनट

(एक) *संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक,* 2014 **(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंत:स्थापन)**

(दो) *राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक,* 2014

श्री रवि शंकर प्रसाद ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया और संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 315 विपक्ष में शून्य, भाग नहीं लिया 33. प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 10 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 315, विपक्ष में शून्य, भाग नहीं लिया 32.

खण्ड 2 से 10 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 का संशोधन स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 367, विपक्ष में शून्य, भाग नहीं लिया 35.

खण्ड 1, यथासंशोधित, सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने यथासंशोधित विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 367, विपक्ष में शून्य, भाग नहीं लिया 35.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

11. ध्यानाकर्षण

डॉ॰ किरीट सोमैया ने आवासीय कॉलोनियों और रिक्त रक्षा भूमि को विकास कार्य कराने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट प्रदान किए जाने की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रक्षा मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

रक्षा मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 3.26 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 2 घण्टे 34 मिनट

*श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री एम॰ आई॰ शनवास की ओर से देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा उठाई।

(लोक सभा अपराह्न 3.29 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 4.01 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री योगी आदित्यनाथ
2. श्री जे॰ जे॰ टी॰ नट्टर्जी
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री तथागत सत्पथी

---

*उन्होंने सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

5. श्री एम॰ श्रीनिवास राव
6. श्री मोहम्मद सलीम
7. श्री तारिक अनवर
8. श्री राजेश रंजन
9. कुमारी महबूबा मुफ्ती
10. श्री असादुद्दीन ओवैसी
11. श्री गजानन कीर्तिकर
12. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
13. श्री बदरूद्दीन अजमल

#सायं 7.22 बजे

(लोक सभा गुरुवार 14 *अगस्त,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर
महासचिव।

#सायं 6.32 बजे से सायं 7.22 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2258LS(S-3)—13-08-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 14 अगस्त, 2014/23 श्रावण, 1936 (शक)

संख्या 33

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521—525 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 526—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5110—5339 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) जुलाई, 2012 से जून, 2013 तक की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 50वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2014, जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (पहला संशोधन) विनियम, 2014, जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/13/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 5.8.2014 को सभा पटल पर रखा गया।

(10) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी-पीटी॰ जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (पथान्तर व्यवस्थापन तंत्र और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2013 से संबंधित 6 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी (क्रम सं॰ 06) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी-पीटी॰ जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 से संबंधित 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी (क्रम सं॰ 08) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1234(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कासरगौड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1235(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 71(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 825(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (ओचिरा-तिरुवनंतपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पाँच) का॰आ॰ 1113(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1238(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कर्नाटक सीमा से कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 140(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बंगलौर-चेन्नई एक्सप्रेसवे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर को भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 95(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 843(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै-परमकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1276(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2174(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तंबरम–चेंगलपट्टु–टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1370(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (तिरुवनंतपुरम–केरल/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 2450(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई–कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2769(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2772(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2853(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोझीकोड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1468(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 909(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 977(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 157(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-एक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2594(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 6(अ) जो 1 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 127(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1169(अ) जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 62(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम से कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 27(अ) जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुनामल्ले-वालाजाहपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1160(अ) जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 विस्तार के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, थेनी जिले को भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 132(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तम्बरम-चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 16(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2094(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 18(अ) जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (प्रोजेक्ट चेनेज) (डिंडीगुल-थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2738(अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 3231(अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 3037(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 3232(अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 3263(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2952(अ) जो 30 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2572(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1287(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2574(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 75(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कॉरीडोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1538(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1759(अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 66(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 643(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 2100(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 813(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का॰आ॰ 3044(अ) जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1668(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 118(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 2175(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कॉरीडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 833(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2451(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1889(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलुरीपेट-रूद्रकोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 531(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 989(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नूति-आलुवा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 3115(अ) जो 17 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 2570(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 923(अ) जो 3 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 1704(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 2022(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 2519(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 1285(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलानु–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 2573(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 1281(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 305(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपटिनम-तंजावुर-त्रिची-करूर-कोयम्बटूर-मेट्टुपलायम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 476(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 609(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 649(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 650(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 651(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 719(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 738(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (पंजाब/हरियाणा सीमा-जिंद-रोहतक खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 754(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का॰आ॰ 895(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 896(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 84 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 897(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 (आगरा-अलीगढ़) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 964(अ) जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 485(अ) को निरस्त किया गया है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1729(अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 926(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2960(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 3820(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्नासी) का॰आ॰ 3821(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का॰आ॰ 252(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 53(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेनगलपट्टु-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में।

(बयासी) का॰आ॰ 58(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुट्टानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 253(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(14) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता तथा पट्टाधृत आवास) विनियम, 1997 जो 23 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/14026/10/2013-एडमिन॰ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 244(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचिन पत्तन कर्मचारी (आचार) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 295(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगांव पत्तन कर्मचारी (पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 309(अ) जो 5 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 775(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया है।

(16) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(20) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(22) (एक) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(24) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 12.32 बजे

4. वित्तीय समितियां (2013-14)—एक समीक्षा—सभा पटल पर रखी गई

महासचिव ने "वित्तीय समितियां (2013-14) एक समीक्षा" के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मऊ और निकटवर्ती क्षेत्र के छोटे बुनकरों का कल्याण—एक मामला अध्ययन' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल ग्रिड का विकास' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

अपराह्न 12.06 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत में रेलवे के डिवीजनल ऑफिस स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री भोला सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और दिल्ली के बीच एक सीधी ट्रेन चलाए जाने तथा बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच चलने वाली विभिन्न अन्य ट्रेनों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामचरित्र निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में देवराई गांव में ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के नक्सल प्रभावित डेहरी, तिलौथू, रोहतास तथा नौहट्टा तथा उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज में रेल नेटवर्क का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा बच्चों में बढ़ते हुए उग्र व्यवहार के कारणों का पता लगाने तथा इस संबंध में समुचित उपचारात्मक उपाए किए जाने के लिए एक व्यापक सामाजिक अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामसिंह पी॰ राठवा द्वारा राजस्थान के छोटा उदयपुर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा असम में जनजातीय लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में विशेषकर तेजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री महेश गिरी द्वारा देश में रेल भूमि से अतिक्रमणों को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राजस्थान के शेष नौ जिलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुभाष बहेड़िया द्वारा राजस्थान में चंबल, भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में रीवा और सिधि के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 75ई को चौड़ा किए जाने तथा इसका नियमित रूप से रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा तमिलनाडु के डिण्डीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं और यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती के॰ मरगथम द्वारा तमिलनाडु में नमक विनिर्माताओं के वर्तमान लाइसेंस का नवीकरण किए जाने तथा राज्य में ऐसे विनिर्माताओं के लिए समनुदेशन शुल्क और भूमि किराया में बढ़ोत्तरी को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को स्थापित करने तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोगों के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा कर्नाटक में ऐसे क्षेत्रों को जहां बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं, संघ राज्यक्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बदरूद्दीन अजमल द्वारा असम के धुगरी जिले के कलिरल्गा और हतसिंगमारी क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बचाने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधियों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राज्य में उद्योगों के लिए करावकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 18 मिनट

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर विचार के लिए 11 अगस्त, 2014 को पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री दुष्यंत सिंह
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री के॰ परसुरमन
5. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री गणेश सिंह
9. श्री अधीर रंजन चौधरी
10. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
11. श्री एम॰ बी॰ राजेश
12. श्री ओम बिरला
13. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
14. श्री प्रेम दास राई
15. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया:—

विधेयक के विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया गया।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 से 12 स्वीकृत हुए।

खण्ड 13 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.19 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 55 मिनट

(एक) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में 13 अगस्त, 2014 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
3. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
4. मोहम्मद असरारुल हक
5. श्री कीर्ति आजाद
6. प्रो॰ सुगत बोस
7. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
8. श्री भगवंत मान
9. श्री अरविंग सावंत

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.43 बजे

लिया गया समय: 5 घंटे 45 मिनट

(दो) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए कठोर विधान की आवश्यकता के बारे में 6 अगस्त, 2014 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अर्जुन राम मेघवाल

(2) श्रीमती के॰ मरगथम

(3) श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

(4) श्रीमती रेखा वर्मा

(5) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

(6) श्रीमती कृष्णा राज

(7) श्री पी॰ पी॰ चौधरी

(8) श्रीमती अनुप्रिया पटेल

(9) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(10) श्रीमती रीता तराई

(11) श्री सी॰ महेन्द्रन

(12) डॉ॰ ममताज संघमिता

(13) श्री सुधीर गुप्ता

श्रीमती मेनका संजय गांधी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

अपराह्न 4.04 बजे

10. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 14 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 अगस्त, 2014 को पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 4.05 बजे

11. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 4.17 बजे

12. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 4.18 बजे

(लोक सभा अपराह्न 4.18 *बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—2283LS—14-08-2014.